www.dhyeyaias.com

सितम्बर 2020 | अंक 03

PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी

ध्येय IAS की एक नई पहल

1 सभी के लिए शिक्षा

डिजिटल तकनीक के माध्यम से

2 राज्य विशेष औद्योगीकरण योजना के जरिये विनिर्माण को बढ़ावा

3 भारतीय स्वास्थ्य क्षेत्र और तकनीकी समाधान

4 संसद का मानसून सत्र : बिना प्रश्नकाल के

5 जीएसटी भुगतान का मुद्दा और समाधान के संभावित विकल्प

6 निर्यात तैयारी सूचकांक–2020 : एक परिचय

7 सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा : वर्तमान समय की मांग

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

ध्येय IAS
most trusted since 2003

PERFECT 7 Weekly Current Affairs

ध्येय IAS : एक परिचय

विनय कुमार सिंह
संस्थापक एवं सी.ई.ओ.

हम इस मंत्र में विश्वास रखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है; प्रत्येक व्यक्ति निपुण है एवं प्रत्येक व्यक्ति में असीमित क्षमता है। ध्येय IAS हमेशा से आत्मप्रेरणादायक मार्गदर्शन को प्रोत्साहित करता रहा है जिससे कि छात्रों के भीतर ज्ञान का सृजन हो सके। शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य ज्ञान के सृजन, प्रसार एवं अनुप्रयोग को एकीकृत रूप में पिरोकर एक सह-क्रियाशील प्रभाव उत्पन्न करना है। ध्येय IAS हमेशा से ही छात्रों के भीतर मानवीय मूल्यों एवं सत्यनिष्ठा को विकसित करने का पक्षधर रहा है जिससे कि उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो और वे एक ऐसी परिस्थिति का सृजन करें जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए भी बेहतर हो। ध्येय IAS नये और प्रभावशाली तरीकों से अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए प्रत्येक छात्र को हर प्रयास में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इसके लिए हम निरंतर और निर्बाध रूप से अपने अध्ययन कार्यक्रम और शिक्षण पद्धतियों में परिवर्तन एवं परिमार्जन करते रहते हैं।

सिविल सेवा परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रतियोगी छात्रों में केवल ज्ञान के प्रति जुनून ही नहीं उत्पन्न करता है बल्कि यथार्थ जीवन में उसका प्रयोग भी सिखाता है। ध्येय IAS प्रतियोगी छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है साथ ही उनमें ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा जैसे मूल्यों का भी सृजन करता है।

क्यू. एच. खान
प्रबंध निदेशक

ध्येय IAS एक ऐसा संस्थान है जिसका लक्ष्य हमेशा से ही छात्रों के समग्र विकास का रहा है। हमारे संस्थान के शिक्षक अपने-अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं जिससे कि छात्रों को प्रत्येक विषय में अधिकतम मदद प्राप्त हो सके। यह एक ऐसा बहुमुखी संस्थान है जहाँ छात्रों को उच्चस्तरीय कक्षाओं और समृद्धशाली अध्ययन सामग्री के साथ-साथ हरसंभव सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

आज ध्येय IAS सिविल सेवा परीक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहचान रखता है, क्योंकि हम उच्चस्तरीय एवं गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं। हम छात्रों को ज्ञान की परिधि बढ़ाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहते हैं ताकि वे पाठ्यक्रम के दायरे से सदैव दो कदम आगे रहें। हमारा मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनकी आन्तरिक क्षमता का बोध कराना होता है जिससे कि वे अपनी एक अलग पहचान बनाकर कल के समाज का कीर्तिमान बन सकें।

Perfect 7 : एक परिचय

कुरबान अली
मुख्य संपादक

मैं उत्साहपूर्वक यह बताना चाहता हूँ कि 'Perfect 7' का नया स्वरूप छात्रों एवं पाठकों के लिए और अधिक जानकारियों को एक अत्यंत आकर्षक स्वरूप में लेकर सामने आ रहा है। इस कार्य के लिए संपादकीय दल को मेरी सुभेच्छा। शुरूआत से ही ध्येय IAS द्वारा रचित 'Perfect 7' को पाठकों का बेहद प्रेम और स्नेह मिलता रहा है। किसी भी संस्था का नाम एवं प्रसिद्धि उसके छात्रों एवं शिक्षकों की दक्षता एवं उपलब्धियों पर निर्भर करती है। एक शिक्षक का मुख्य कार्य उसके छात्रों की क्षमताओं का निर्माण कर उसे सफलता के मार्ग पर अग्रसर करना होता है, उसी क्रम में यह पत्रिका इस संस्थान की शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए उसके छात्रों एवं पाठकों में समसामयिकी मुद्दों पर एक व्यापक दृष्टिकोण को विकसित करने के लक्ष्य को लेकर प्रकाशित की जा रही है जिसके द्वारा विभिन्न प्रबुद्ध शिक्षकों, लेखकों एवं छात्रों को एक मंच पर सम्मिलित किया जा रहा है, ताकि वे अपने नवाचार युक्त विचारों को एक दूसरे के साथ साझा कर सकें।

इस क्रम में किये जा रहे कठिन परिश्रम को मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

आशुतोष सिंह
प्रबंध संपादक

हमने अपनी साप्ताहिक पत्रिका का ना केवल नाम 'Perfect 7' रखा है, बल्कि उसे 'परफेक्ट' बनाने के लिए हर संभव प्रयास भी किया है। यह सर्वविदित है कि किसी कार्य की शुरूआत सबसे चुनौतीपूर्ण होती है और सबसे महत्वपूर्ण भी। इसलिए यह स्थिति हमारे सामने भी आयी।

हमारे लिए यह चुनौती और भी बड़ी इसलिए साबित हुई क्योंकि हमने अपनी पत्रिका की गुणवत्ता के लिए अत्यधिक उच्च मानक तय किया। हमने शुरूआत में ही तय कर लिया था कि हम पत्रिका के नाम पर प्रतिभागियों को 'सूचनाओं का कचरा' नहीं प्रदान करेंगे। हमने यह निश्चय किया कि सिविल सेवा की परीक्षा को केंद्र में रखते हुए, हम उन्हें 'Perfect 7' के रूप में वह रामबाण देंगे जो सीधे लक्ष्य को भेदेगा। इसके लिए हमने 'मल्टी फिल्टर' और 'सिक्स सिगमा' प्रणाली को अपनाया जिसके तहत अलग-अलग स्तरों पर चर्चा कर अंततः उन विषयों और मुद्दों को इसमें समाहित किया जाता है जहाँ से परीक्षा में प्रश्नों का पूछा जाना अधिसंभाव्य है।

इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्तर पर गलतियों को दूर कर 'Perfect 7' को त्रुटिहीन, प्रवाहपूर्ण और आकर्षक रूप से आपके सामने लाया जाता है। गुणवत्तापूर्ण सामग्री देने के अतिरिक्त, समयबद्ध रूप से इसको आपके समक्ष लाना भी हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि यह एक साप्ताहिक पत्रिका है। हमें इस बात का बेहद हर्ष एवं गर्व है कि पहले अंक से लेकर इस अंक तक कोई भी सप्ताह ऐसा नहीं रहा जब 'Perfect 7' अपने तय समय पर प्रकाशित न हुई हो।

'Perfect 7' का यह जो नया संस्करण हम आपके सामने ला रहे हैं, इसमें हमारे परिश्रम से कहीं ज्यादा आपके प्रेम और स्नेह की भूमिका है जिसकी वजह से हम बिना रूके, बिना थके प्रत्येक सप्ताह आपके लिए यह पत्रिका प्रकाशित करते हैं। आपकी शुभकामनाओं से यह क्रम आगे भी जारी रहेगा।

प्रस्तावना

हमने 'PERFECT 7' पत्रिका को सिविल सेवा परीक्षा के प्रतियोगी छात्रों को ध्यान में रखकर बनाया है। सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का चयन कर 'PERFECT 7' में सात महत्वपूर्ण मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया जाता है। इसके अतिरिक्त सात ब्रेन बूस्टर्स, सात महत्वपूर्ण तथ्य, पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं एवं सात महत्वपूर्ण ग्राफिक्स के माध्यम से संकल्पनाओं का समावेशन 'PERFECT 7' को सिविल सेवा परीक्षा के लिए 'गागर में सागर' साबित करता है।

'PERFECT 7' के सात महत्वपूर्ण मुद्दों का संकलन करते समय उन मुद्दों के पक्ष, विपक्ष, विशेषताओं तथा उनसे भारत एवं विश्व पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा प्रस्तुत की जाती है, ताकि छात्र उन मुद्दों के बारे में एक समझ विकसित कर सकें। 'PERFECT 7' के सात महत्वपूर्ण खबरों के जरिए छात्रों को सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। इस पत्रिका के सात महत्वपूर्ण तथ्यों एवं पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं के जरिए हम अपने छात्रों को अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सिविल सेवा परीक्षा के सभी पहलुओं को समाहित करना है। 'PERFECT 7' के सात ब्रेन बूस्टर्स के जरिए समसामयिक विषयों की जानकारी संक्षेप में एवं आकर्षक रूप में प्रस्तुत की जाती है जिससे कि छात्रों द्वारा इसे सरलता से आत्मसात किया जा सके। इसके अतिरिक्त इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है। अन्य पत्रिकाओं की भांति हम छात्रों को केवल सतही जानकारी उपलब्ध कराने में विश्वास नहीं रखते बल्कि सारगर्भित बहुपक्षीय और त्रुटिरहित जानकारी प्रदान करने का अथक प्रयास करते हैं जिससे सिविल सेवा में हमारे छात्र सफलता अर्जित कर सकें, क्योंकि छात्रों की सफलता ही हमारी पत्रिका की कसौटी है। हमने अपने अथक प्रयास एवं परिश्रम के जरिए 'PERFECT 7' पत्रिका को 'परफेक्ट' बनाने का कार्य किया है, फिर भी यदि कोई त्रुटि रह गयी हो तो उसे सुधारने में आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं।

जीत सिंह
सम्पादक, ध्येय IAS

संघ लोक सेवा आयोग व अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा प्रारम्भिक व मुख्य परीक्षा में विगत कुछ वर्षों से राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित प्रश्नों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है। इसकी पुष्टि विगत वर्षों में संपन्न हुई परीक्षाओं के प्रश्न पत्र से की जा सकती है। इसलिए हमने 'PERFECT 7' पत्रिका के माध्यम से उन मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया है, जो परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। 'PERFECT 7' पत्रिका न केवल प्रारम्भिक व मुख्य परीक्षा के लिए उपयोगी है, बल्कि यह साक्षात्कार के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। इसमें समसामयिक घटनाओं को बेहद रोचक ढंग से तालिका,फ्लोचार्ट एवं चित्रों के माध्यम से समझाया गया है। 'PERFECT 7' के सात महत्वपूर्ण मुद्दों को संकलित करते समय हमारा प्रयास न केवल उन मुद्दों के सभी पहलुओं अर्थात् एक स्पष्ट विश्लेषणात्मक सांचे में ढालने का रहा है बल्कि ऐसे मुद्दों का इसमें विस्तृत विवेचन भी किया गया है, जिनका अन्य समसामयिक पत्रिकाओं में जिक्र तक नहीं होता है। 'PERFECT 7' के सात ब्रेन बूस्टर्स के माध्यम से समसामयिक विषयों की जानकारी को बेहद सटीकता व आकर्षक रूप से प्रस्तुत किया गया है, जिससे छात्रों को कम समय में भी उपयोगी जानकारी सुलभ हो सके। इसके अतिरिक्त 'PERFECT 7' पत्रिका में सात महत्वपूर्ण खबरें, सात महत्वपूर्ण पीआईबी, सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न व सात महत्वपूर्ण तथ्यों का समावेश भी किया गया है। इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि किसी भी पत्रिका में तथ्यों की मात्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण उसकी गुणवत्ता होती है, इसलिए इसी सिद्धांत का अनुपालन करके हमने सारगर्भित रूप में यह पत्रिका आपके सम्मुख प्रस्तुत की है, चूंकि कोई भी कृति अंतिम नहीं होती है, उसमें सुधार की सदैव संभावनाएँ विद्यमान रहती हैं। अतः सभी छात्रों से अनुरोध है कि अपने बहुमूल्य सुझावों व समालोचनाओं से हमें अवगत कराएं।

अवनीश पाण्डेय
सम्पादक, ध्येय IAS

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

www.dhyeyaias.com

PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी

ध्येय IAS की एक नई पहल

सितम्बर 2020 | अंक 03

ध्येय टीम

संस्थापक एवं सी.ई.ओ.	➢ विनय कुमार सिंह
प्रबंध निदेशक	➢ क्यू. एच. खान
मुख्य संपादक	➢ कुरबान अली
प्रबंध संपादक	➢ आशुतोष सिंह
संपादक	➢ जीत सिंह ➢ अवनीश पाण्डेय ➢ ओमवीर सिंह चौधरी ➢ रजत झिंगन
संपादकीय सहयोग	➢ प्रो. आर. कुमार
मुख्य लेखक	➢ अजय सिंह ➢ अहमद अली ➢ स्वाती यादव ➢ स्नेहा तिवारी
लेखक	➢ अशरफ अली ➢ गिरराज सिंह ➢ हरिओम सिंह ➢ अंशुमान तिवारी
समीक्षक	➢ रंजीत सिंह ➢ रामयश अग्निहोत्री
आवरण सज्जा एवं विकास	➢ संजीव कुमार झा ➢ पुनीश जैन
विज्ञापन एवं प्रोन्नति	➢ गुफरान खान ➢ राहुल कुमार
प्रारूपक	➢ कृष्ण कुमार ➢ कृष्णकांत मंडल ➢ मुकुन्द पटेल
कार्यालय सहायक	➢ हरीराम ➢ राजू यादव

Content Office

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

DHYEYA IAS
302, A-10/11, Bhandari House,
Near Chawla Restaurants,
Dr. Mukherjee Nagar,
Delhi-110009

विषय सूची

7 महत्वपूर्ण मुद्दे एवं उन पर आधारित विषयनिष्ठ प्रश्न 01–15

- सभी के लिए शिक्षा : डिजिटल तकनीक के माध्यम से
- राज्य विशेष औद्योगीकरण योजना के जरिये विनिर्माण को बढ़ावा
- भारतीय स्वास्थ्य क्षेत्र और तकनीकी समाधान
- संसद का मानसून सत्र : बिना प्रश्नकाल के
- जीएसटी भुगतान का मुद्दा और समाधान के संभावित विकल्प
- निर्यात तैयारी सूचकांक-2020 : एक परिचय
- सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा : वर्तमान समय की मांग

7 महत्वपूर्ण ब्रेन बूस्टर्स 16–22

7 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर (ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित) 23–24

7 महत्वपूर्ण खबरें 25–30

7 महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु) 31

7 महत्वपूर्ण तथ्य (प्रारंभिक परीक्षा हेतु) 32

7 महत्वपूर्ण उक्तियाँ (निबंध एवं उत्तर लेखन के लिए उपयोगी) 33

OUR OTHER INITIATIVES

UDAAN TIMES
Putting You Ahead of Time...
Hindi & English Current Affairs Monthly News Paper

DHYEYA TV
Current Affairs Programmes hosted by Mr. Qurban Ali
(Ex. Editor Rajya Sabha, TV) & by Team Dhyeya IAS
(Broadcasted on YouTube & Dhyeya-TV)

7 महत्वपूर्ण मुद्दे

01 सभी के लिए शिक्षा : डिजिटल तकनीक के माध्यम से

चर्चा का कारण

- कोविड-19 महामारी की वजह से सभी स्कूल बंद हैं और इससे देश भर के स्कूलों के करीब 240 मिलियन से अधिक बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। स्कूल कब खुलेंगे यह कहना बहुत मुश्किल है। इसको देखते हुए केंद्र एवं राज्य दोनों ही सरकारें ऑनलाइन माध्यम से डिजिटल शिक्षा को प्रोत्साहन दे रहीं हैं। इस लेख में आगे हम इसी विषय पर चर्चा करेंगें।

पृष्ठभूमि

- गौरतलब है कि भारतीय शिक्षा प्रणाली पुरानी और पारंपरिक कही जाती है। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी शिक्षा प्रणाली है। अगर देखा जाए तो भारतीय शिक्षा प्रणाली पहले से ही काफी लचर अवस्था में थी, जिसके समक्ष कोविड-19 महामारी ने और भी गंभीर समस्याएँ उत्पन्न की हैं ।
- हम कह सकते हैं कि कोविड-19 महामारी और इसके कारण लगाए गए लाकडाउन ने भारत में शैक्षणिक ढांचा की कमियों को उजागर किया है।
- हालांकि लगभग 5000 साल पुरानी भारतीय शिक्षा प्रणाली ने कोविड-19 महामारी के कारण शिक्षण दृष्टिकोण में कई बदलावों को शामिल किया है।

डिजिटल शिक्षा

- कोविड-19 महामारी की स्थिति में शिक्षा को संचालित रखने हेतु ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली पर फोकस किया जा रहा है ताकि एजुकेशन फॉर ऑल (Education for All) के विजन को पाया जा सके।

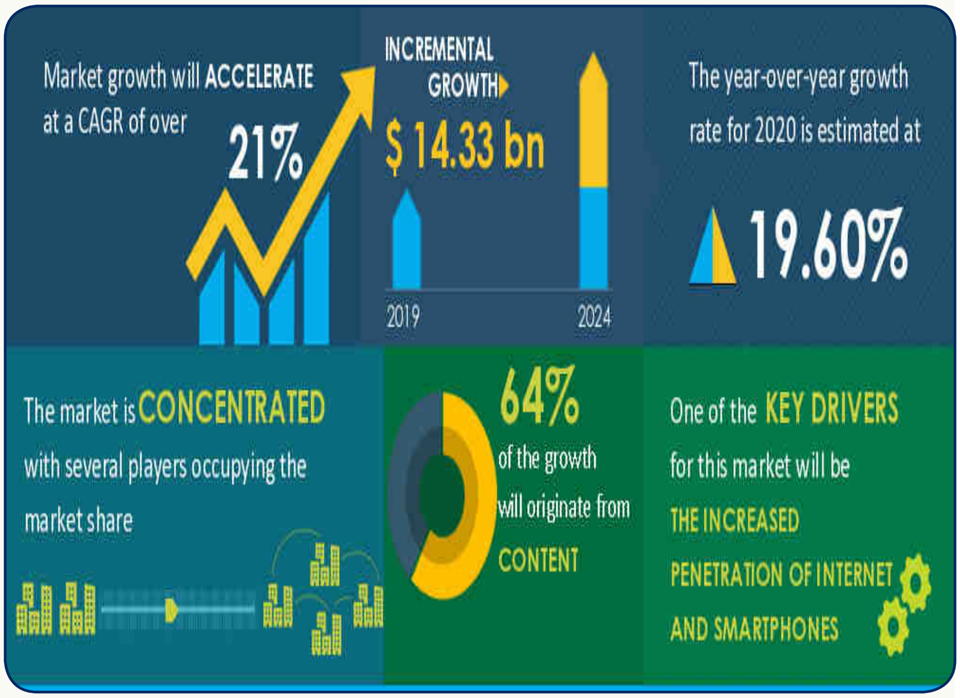

- ऑनलाइन या डिजिटल शिक्षा का तात्पर्य प्रौद्योगिकी, उपकरण, अंतर क्रियाशीलता, अवधि, अध्ययन सामग्री और उपयुक्त प्लेटफार्मों के माध्यम से कक्षा में शिक्षण को और अधिक संवादात्मक (इन्टरेक्टिव) बनाना है।
- जब टेक्नोलॉजी शैक्षिक उद्देश्यों के लिए अच्छी तरह इस्तेमाल की जाती है, तब शिक्षा का अनुभव ज्यादा असरदार होने में मदद मिलती है और छात्र उसमें ज्यादा शामिल होते हैं। आज सीखने-सिखाने की प्रक्रिया में PPTs, वीडियो प्रेजेंटेशन्स, ई-लर्निंग तरीके, ऑनलाइन प्रशिक्षण और अन्य डिजिटल पद्धतियों के इस्तेमाल को महत्व दिया जा रहा है। इस वजह से कक्षा में सिखाना ज्यादा संवादात्मक (इन्टरेक्टिव) होता जा रहा है।
- सीखना बुनियादी तौर से एक सामाजिक गतिविधि है। इसीलिए बच्चों को ऑनलाइन नेटवर्क से जुड़ने से रोकने के बजाय हमें उन्हें सुरक्षा के साथ सीखने के लिए प्रोत्सहित करना चाहिए। डिजिटल शिक्षा अब हमारे जीवन का एक अंग बन चुकी है। अगर हम डिजिटल लर्निंग चाहते हैं, तो हमें अपने स्कूलों और शिक्षकों को उचित रूप से इंटरनेट संसाधनों के साथ तैयार करना जरूरी है।

एजुकेशन फॉर ऑल और डिजिटल शिक्षा

- मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य विवाद में सन 1992 में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत शिक्षा पाने के अधिकार को प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार बताते हुए ऐतिहासिक निर्णय दिया था।
- भारतीय संविधान में 86 वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 21 (क) जोड़कर 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं नि:शुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधी प्रावधान किया गया है।
- अगर सभी के लिए शिक्षा उपलब्ध करवाना है तो इसमें डिजिटल शिक्षा एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकती है क्योंकि इसकी व्यापक पहुच होती है। एक शिक्षक ऑनलाइन प्लेटफार्म के द्वारा एक ही समय में भारी संख्या में विद्यार्थियों से जुड़ सकता है।
- इसके लिए सरकार को डिजिटल शिक्षा से संबन्धित चुनौतियों एवं अवसरों पर फोकस करने की आवश्यकता है।

एजुकेशन फॉर ऑल हेतु डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में चुनौतियाँ व समस्याएं

- देश में हर शैक्षणिक बोर्ड, कॉलेज, विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम अलग अलग हैं। पाठ्यक्रम की असमानता एक बहुत बड़ी चुनौती है, जो डिजिटल या ऑनलाइन शिक्षा के समुचित क्रियान्वयन में आड़े आ सकती है।
- भारत में इंटरनेट की स्पीड एक बड़ी समस्या है। ऐसे में वीडियो क्लासेज लेते समय इंटरनेट स्पीड का कम या ज्यादा होना समस्या पैदा करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट स्पीड और भी खराब हालत में है,क्योंकि यहाँ इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ बिजली की भी समस्या है।
- राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन (National Statistical Organisation- NSO) की हालिया रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत में विभिन्न राज्यों, शहरों और गांवों तथा विभिन्न आय समूहों में डिजिटल डिवाइड (Digital Divide) काफी अधिक है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (National Sample Survey) के वर्ष 2017-18 के आँकड़ों के अनुसार, केवल 42 प्रतिशत शहरी और 15 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास इंटरनेट की सुविधा मौजूद थी।
- परंतु डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र 'तकनीकी समझ' भी एक बड़ी समस्या है। अगर तकनीकी शिक्षा से जुड़े अध्यापकों और विद्यार्थियों को छोड़ दें तो बाकी लगभग सभी विषयों से जुड़े शिक्षकों और शिक्षार्थियों को तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ता है। प्राइमरी और माध्यमिक स्तर पर ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है।
- ऑनलाइन शिक्षण को सामान्यत: रेगुलर कक्षाओं की तरह नहीं चलाया जा सकता है, जिससे लर्निंग आउटकम प्रभावित होता है।
- कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि कोविड-19 महामारी में जिस ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली का संचालन किया जा रहा है , उसमें लगभग 60 से 70 प्रतिशत विद्यार्थी इसके दायरे से बाहर हैं।
- भारत में शिक्षकों के पास ऑनलाइन माध्यमों द्वारा बच्चों को शिक्षा देने के लिये पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं है।
- अगस्त, 2020 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि कोविड-19 महामारी के आर्थिक परिणामों के प्रभावस्वरूप अगले वर्ष (2021) लगभग 24 मिलियन बच्चों पर स्कूल न लौट पाने का खतरा उत्पन्न हो गया है। इसके अतिरिक्त रिपोर्ट में कहा गया है कि स्कूलों और शिक्षण संस्थानों के बंद होने से विश्व की तकरीबन 94% छात्र आबादी प्रभावित हुई है और निम्न तथा निम्न-मध्यम आय वाले देशों में यह संख्या लगभग 99% है। महामारी ने शिक्षा प्रणाली में मौजूद असमानता को और अधिक बढ़ा दिया है।
- डिजिटल शिक्षा के प्रचलन में महिला वर्ग भी काफी संवेदनशील है क्योंकि इनके पास डिजिटल संसाधन काफी कम हैं। इसके कारण बाल विवाह और लिंग आधारित हिंसा के मामले अधिक देखने को मिल सकते हैं।

डिजिटल एजुकेशन फॉर ऑल के लिए सरकारी प्रयास

मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल

- भारत सरकार का मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत उच्च शिक्षा विभाग, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षा पर राष्ट्रीय मिशन (National Mission on Education through Information and Communication Technology& NMEICT) कार्यक्रम के माध्यम से देश में डिजिटल या ऑनलाइन शिक्षा को प्रोत्साहित कर रहा है। इसके अंतर्गत कई पहलें शामिल हैं , यथा-
  - स्वयं (SWAYAM) अर्थात स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स
  - स्वयं प्रभा (SWAYAM Prabha)
  - राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी (National Digital Library of India- NDL)
  - स्पोकन ट्यूटोरियल (Spoken Tutorial)
- शिक्षा के लिये मुफ्त और मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर (Free and Open Source Software for Education- FOSSEE)
  - वर्चुअल लैब (Virtual Lab)
  - ई-यंत्र (e-Yantra)
  - नेशनल रिपोजिटरी ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज (NROER)

राज्यों की प्रमुख डिजिटल पहलें

- राज्य सरकारों द्वारा की गई कुछ प्रमुख डिजिटल पहलों में राजस्थान में "स्माइल" (सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट), जम्मू में "प्रोजेक्ट होम क्लासेस", छत्तीसगढ़ में "पढ़ाई तुहार दुवार" (आपके द्वार पर शिक्षा), दिल्ली में एनसीटी का अभियान "बुनियाद", केरल का अपना शैक्षिक टीवी चौनल (हाई-टेक स्कूल प्रोग्राम), "ई-विद्वान पोर्टल" और साथ ही मेघालय में शिक्षकों के लिए मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम शामिल हैं।
- "उन्नयन बिहार पहल" के तहत बिहार सरकार ने छात्रों के लिए "मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय" शुरू किया है।
- असम ने कक्षा 6 से 10 के लिए "बिस्वा विद्या असम मोबाइल एप्लिकेशन" लॉन्च किया है।

- उत्तराखंड "संपर्क बैंक ऐप" का उपयोग कर रहा है, जिसके माध्यम से प्राथमिक स्कूल के छात्र एनिमेटेड वीडियो, ऑडिओ, वर्कशीट, पहेलियों आदि का उपयोग कर सकते हैं।
- मध्य प्रदेश ने टॉप पैरेंट ऐप लॉन्च किया है, जो एक नि:शुल्क मोबाइल ऐप है जो छोटे बच्चों के माता-पिता (3-8 साल) को बाल विकास के ज्ञान और व्यवहारों की सीख देता है।
- तेलंगाना में कोविड संकट के दौरान शिक्षकों के लिए मानसिक स्वास्थ्य पर ऑनलाइन सर्टिफिकेट प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है।
- कुछ राज्यों ने दूरस्थ शिक्षा की सुविधा के लिए नवीन मोबाइल ऐप और पोर्टल लॉन्च किए हैं। जोकि निम्न है-
  - मध्य प्रदेश-टॉप पैरेंट ऐप
  - उत्तराखंड "संपर्क बैंक ऐप"
  - असम-"बिस्वा विद्या असम मोबाइल एप्लिकेशन"
  - बिहार-"विद्यावाहिनी ऐप" और "मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय"
  - चंडीगढ़-"फीनिक्स मोबाइल एप्लिकेशन"
  - महाराष्ट्र-"लर्निंग आउटकम स्मार्ट क्यू मोबाइल ऐप"
  - पंजाब-आई स्कूएला लर्न मोबाइल एप्लिकेशन
  - सिक्किम-"सिक्किम एडुटेक ऐप"
  - त्रिपुरा-'एम्पॉवर यू शिक्षा दर्पण'
  - उत्तर प्रदेश-"टॉप पैरेंट ऐप"
  - वर्तमान में बच्चों के लिए "चिंपल", "मैथ्स मस्ती" और "गूगल बोलो" जैसे तीन बेहतरीन एजुकेशन सम्बंधित ऐप हैं।
- इसके अलावा राज्य, शिक्षा के एक माध्यम के रूप में व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे हैं और शिक्षकों, अभिभावकों और छात्रों को जुड़े रहने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। जोकि निम्न है-
- ओडिशा- "ओडिशा शिक्षा संजोग"
- राजस्थान-"हवामहल- खुशनुमा शनिवार"
- उत्तर प्रदेश -मिशन प्रेरणा ई-पाठशाला

डिजिटल 'एजुकेशन फॉर ऑल' के लिए सुझाव

- डिजिटल एजुकेशन फॉर ऑल के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे बुनियादी शर्त यह है कि डिजिटल एजुकेशन से जुड़ी हुई आधारभूत संरचना का विकास पहले किया जाए एवं 'डिजिटल डिवाइड' जैसे मूलभूत विषय वस्तु को सरकार के द्वारा व्यापक रूप से संबोधित किया जाए। वर्तमान में ग्रामीण इलाकों में अभी भी दूरसंचार अवसंरचना का घनत्व कम है विशेष रूप से दुर्गम क्षेत्रों में (जंगलों, पहाड़ी, सीमावर्ती इलाकों में)।
- एजुकेशन फॉर ऑल के लक्ष्य को पाने के लिए डिजिटल साक्षरता की दिशा में भी काफी तेजी से आगे बढ़ना होगा क्योंकि डिजिटल शिक्षा के लिए अभी भी शिक्षकों एवं अन्य संबंधित कार्यबल में डिजिटल साक्षरता का ना होना एक महत्वपूर्ण चुनौती है।
- सरकार को डिजिटल शिक्षा के तहत एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य पाने के लिए आवश्यक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की उपलब्धता पर भी ध्यान देना होगा जिससे डिजिटल शिक्षा को सुचारू रूप से सब तक समावेशी पहुंच सुनिश्चित की जा सके।
- सरकार को शिक्षा क्षेत्र के अग्रणी एनजीओ को शामिल करके डिजिटल लर्निंग डिजिटल एजुकेशन से जुड़े उनकी विशेषताओं का लाभ उठाते हुए आगे बढ़ना चाहिए जिससे सभी भारतीय लोगों को डिजिटल शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित की जा सके।
- अगर पाठ्यक्रम की असमानता को दूर कर लिए जाये तो देश के किसी भी कोने में कोई विषय सामग्री तैयार होगी, तब वह सामग्री समानता के साथ देश के सभी विद्यार्थियों के लिए लाभकारी होगी। इस समान विषय सामग्री का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद आवश्यकता के अनुसार कराया जा सकता है।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में डिजिटल शिक्षा हेतु काफी बेहतर प्रावधान किए गए हैं जिन्हें व्यावहारिक धरातल पर क्रियान्वित करने पर जोर देना चाहिए। यह न केवल समग्र और दूरगामी है बल्कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था की चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रभावी भी है।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति,2020 को लागू करने पर अच्छी तरह चिंतन करके ठोस कार्ययोजना बनानी चाहिए ताकि यह महज एक अच्छे विचार तक सीमित ना रह जाए।

निष्कर्ष

- कोविड-19 महामारी के इस दौर में पठन-पाठन के अनुभवों को देखते हुए ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा से भविष्य में शिक्षा को किफायती, समावेशी और कम लागत वाली बनाया जा सकता है। इसलिए सरकार सहित सभी हितधारकों को इस ओर मिलकर प्रयास करना चाहिए ताकि आने वाले दिनों में बड़ी संख्या में छात्रों के लिए ई-लर्निंग से शिक्षा को और अधिक सुलभ बनाया जा सके और एजुकेशन फॉर ऑलके विजन को पाया जा सके।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न मुद्दे।

Topic:

- स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/ सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

प्र. डिजिटल शिक्षा एजुकेशन फॉर ऑल के उद्देश्य को प्राप्त करने में किस प्रकार सहायक हो सकती है? भारत में डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त चुनौतियों की चर्चा करने के साथ-साथ यह भी बताएं कि इसे कैसे मजबूत किया जा सकता है?

02 राज्य विशेष औद्योगीकरण योजना के जरिये विनिर्माण को बढ़ावा

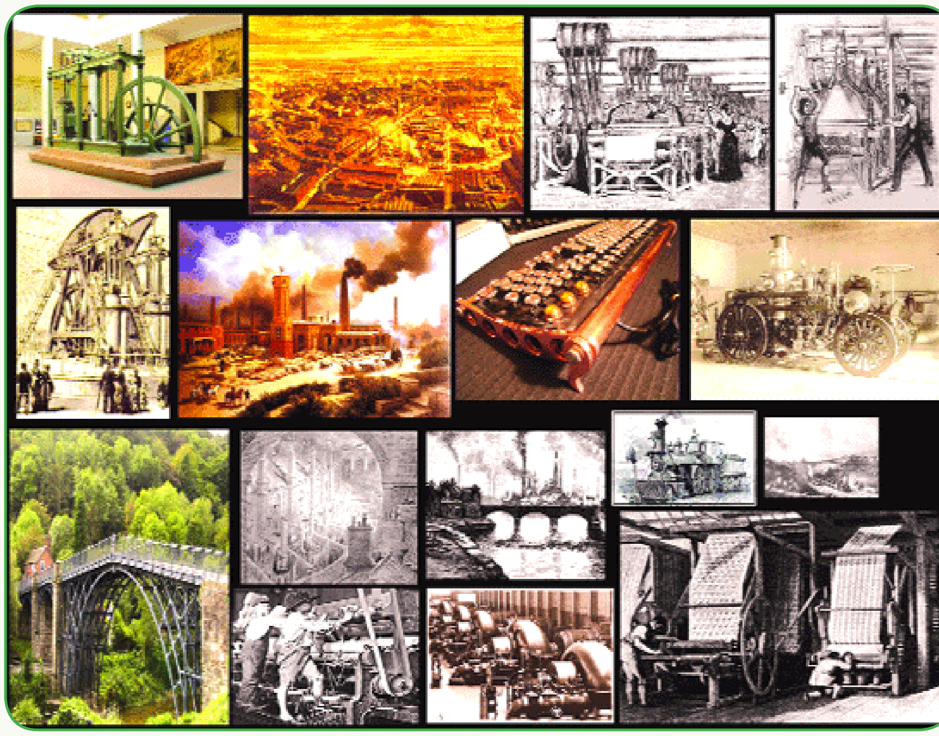

संदर्भ

- कुछ विश्लेषकों का मानना है कि कोविड -19 महामारी के कारण चीन से चलने वाली कई विनिर्माण कंपनियां अपने कारोबार को भारत सहित अन्य स्थानों पर स्थानांतरित करेंगी। चीन में स्थित कई अमेरिकी, जापानी और दक्षिण कोरियाई कंपनियों ने भारत सरकार से अपने संयंत्रों को भारत में स्थानांतरित करने के लिए चर्चा भी शुरू कर दी है।
- अत: यदि भारत इन कंपनियों को अपने यहाँ आकर्षित करना चाहता है तो विनिर्माण में सुधार करना होगा जिसमें राज्य-विशिष्ट औद्योगिक रणनीति पर विशेष जोर दिया जा सकता है। यह लेख भारत में विनिर्माण उद्योग की संभावनाओं और चुनौतियों और इस संबंध में राज्यों की भूमिका का विश्लेषण करेगा।

विनिर्माण कंपनियों के चीन से हटने के संभावित कारण

- जानकार चीन से कंपनियों के बाहर निकलने के लिए निम्न प्रमुख कारणों पर जोर दे रहें हैं-
  - COVID-19 की वजह से देश में सप्लाई चेन की गड़बड़ी के कारण क्षमता निर्माण और सामानों की आवाजाही के लिए चीन पर बहुत अधिक निर्भरता एक आदर्श व्यवसाय रणनीति नहीं है।
  - आवश्यक औद्योगिक वस्तुओं की आपूर्ति पर चीनी प्रभुत्व का भय है।
  - चीन और कुछ अन्य देशों के बीच भूराजनीतिक और व्यापारिक संघर्षों के मद्देनजर आपूर्ति शृंखला के बढ़ते जोखिम और अनिश्चितता को देखते हुए कई देशों की कंपनियाँ चीन से निकलने के पक्ष में हैं।

विनिर्माण में भारत की स्थिति

- विनिर्माण के मामले में भारत चीन से बहुत पीछे है। विश्व विनिर्माण उत्पादन में चीन पहले स्थान पर है, जबकि भारत छठे स्थान पर है।
- भारत ने 2022 तक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में विनिर्माण के हिस्से को 25% करने का लक्ष्य रखा है जबकि 2018 में जीडीपी में विनिर्माण का हिस्सा 15% ही था।
- वहीं 2018 में चीन की जीडीपी में विनिर्माण का हिस्सा 30% था।
- भारत में 1991 में अर्थव्यवस्था में एलपीजी मॉडल Liberalisation, Privatisation and Globalisation को अपनाने के बाद से विनिर्माण क्षेत्र 12% के लक्ष्य के मुकाबले मात्र 7% की दर से बढ़ रहा है। जबकि 1978 में चीन द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था को उदार बनाने के बाद उसका विनिर्माण औसतन 10.68% की वार्षिक दर से बढ़ा है।
- भारत शीर्ष 10 विनिर्माण निर्यातकों में भी शामिल नहीं है, जो 83% वैश्विक विनिर्माण निर्यात में योगदान करते हैं। इसमें चीन का 18% का योगदान है और वह यूरोपीय संघ के बाद दूसरे स्थान पर है।

भारत के विनिर्माण क्षेत्र की प्रमुख बाधाएं

- चीन की तुलना में भारत के विनिर्माण क्षेत्र में कई पेंच हैं। भारत के विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने में कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है,जिनमें कुछ प्रमुख बाधाएँ निम्नलिखित हैं:
  - विकसित राष्ट्रों की तुलना में भारत में सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे, बिजली, पानी जैसे बुनियादी ढांचों में कमियाँ विद्यमान हैं।
  - एक प्रतिकूल और अप्रत्याशित कर नीति का वातावरण
  - एक गैर-अनुकूल नियामक वातावरण, कठोर श्रम कानून और प्रतिबंधात्मक व्यापार नीतियां
  - औद्योगिक ऋण की उच्च लागत
  - कार्यबल की खराब गुणवत्ता
  - अनुसंधान और विकास में कम निवेश किया जाना
  - भूमि अधिग्रहण में देरी और अड़चनें
  - विनिर्माण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने में असमर्थता

- जब तक इन चुनौतियों का समाधान नहीं किया जाता है, तब तक भारत को एक विनिर्माण शक्ति के रूप में स्थापित करने और चीन से प्रतिद्वंद्विता करने के सपने को साकार करना मुश्किल होगा।

राज्यों की भूमिका

- चूंकि भारत एक संघीय सरकार प्रणाली का पालन करता है, अतः इन बाधाओं के स्थायी समाधान के लिए राज्य सरकारों की सक्रिय भागीदारी और केंद्र तथा राज्यों के बीच प्रभावी समन्वय आवश्यक है।
- वर्तमान में, भारत में विनिर्माण विकास प्रमुख रूप से महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में केन्द्रित है।
- विनिर्माण क्षेत्र के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता भूमि की उपलब्धता है। यही कारण है कि विनिर्माण गतिविधियाँ मुख्य रूप से इन पांच राज्यों में केंद्रित है जो भारत के भौगोलिक क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा है।
- हालांकि, चिंता की बात यह है कि बड़े भू-भाग वाले राज्य, जिनमें आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल शामिल हैं, के राज्य-सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण अनुपात बहुत कम है।
- इन राज्यों में कम विनिर्माण गतिविधि के कारणों की सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए है, और इसके आधार पर केंद्र सरकार द्वारा सक्रियता से राज्य-विशिष्ट औद्योगीकरण रणनीतियों को तैयार और कार्यान्वित करना चाहिए।
- अलग-अलग राज्यों की ओर से मजबूत और सावधानी से तैयार की गई नीतिगत कार्रवाइयाँ भारत के समग्र निवेश माहौल में सुधार करेंगी जिससे निवेश, रोजगार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
- चीन से भारत में अपने संयंत्रों को स्थानांतरित करने की इच्छा रखने वाली निर्माण कंपनियों को आकर्षित करने केंद्र की पहल के अलावा, राज्यों को भी अपनी योजनाओं को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए।
- हालांकि, इस तरह की रणनीति केंद्र और राज्यों की नीतिगत कार्रवाइयों में बेहतर समन्वय से ही प्रभावी होगी।

सरकार को विनिर्माण क्षेत्र के लिए क्या करना चाहिए ?

- भारत में मौजूदा श्रम कानूनों को सुधारने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि उन्हें सरल और लचीला बनाया जा सके, उन्हें इस तरह से सुधार किया जाना चाहिए जिससे औद्योगिक क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिले और इस क्षेत्र के भीतर व्यापार करने में आसानी हो।
- पिछले कुछ दशकों में भारत की श्रम उत्पादकता में बढ़ोतरी हुई है किन्तु चीन की तुलना में यह अभी भी कम है। ऐसे में भारत में स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करना चाहिए। शिक्षा प्रणाली के भीतर उच्च गुणवत्ता वाला व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।
- भारत में लॉजिस्टिक लागत (लॉजिस्टिक की परिभाषा के तहत औद्योगिक पार्क, गोदाम, शीत गृह और परिवहन क्षेत्र आते हैं।) सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 13 से 14 फीसदी है, जो कि दूसरे विकसित देशों में जीडीपी के अनुपात में लगने वाली लॉजिस्टिक लागत (8 से 10 फीसदी) से कहीं ज्यादा है। इसकी प्राथमिक वजह विभिन्न शीर्षों वाली व्यवस्था का होना और भारत में 60 फीसदी सामान का संचालन रोडवेज के जरिये होना है। इस क्षेत्र के विकास से घरेलू और विदेशी मांग बढ़ाने में मदद मिलेगी, जिससे विनिर्माण और रोजगार सृजन को प्रोत्साहन मिलेगा।
- विकसित देश अपने जीडीपी का 3-4% के बीच खर्च करते हैं जबकि भारत पिछले दो दशक से अनुसंधान और विकास पर अपने जीडीपी का का 0.6 से 0.7 फीसदी खर्च करता रहा है। इसके अलावा देश में आरएंडडी में निजी निवेश में भी कमी आ रही है. ऐसे में विज्ञान के साथ ही अनुसंधान और विकास पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है।
- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से भारत की औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र में नई प्रौद्योगिकियाँ आएंगी, इस प्रकार आत्मनिर्भरता के लिए स्वदेशी प्रयासों की आवश्यकता होगी।

आगे की राह

- सहकारी संघवाद का मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच की खाई को पाटना है । ऐसे में कुछ विश्लेषकों का मानना है कि इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ शीर्ष उद्योग के अधिकारियों के साथ मिलकर एक रणनीति समूह बनाने पर विचार करना चाहिए। इस प्रकार पूरे विनिर्माण क्षेत्र को विकसित करने के लिए केंद्र एवं राज्यों के बीच एक समान दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न मुद्दे।

सामान्य अध्ययन पेपर-3

Topic:

- भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित मुद्दे।

प्र. विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को साथ मिलकर एक रणनीतिक समूह बनाने पर विचार करना चाहिए । चर्चा कीजिये।

03 भारतीय स्वास्थ्य क्षेत्र और तकनीकी समाधान

चर्चा का कारण

- भारतीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पिछले एक दशक में नई तकनीकों को अपनाने के साथ-साथ प्रणालीगत परिवर्तन और सेवा की गुणवत्ता पर जोर देने के कारण बहुत विकसित हुई है। हालांकि, स्वास्थ्य देखभाल मानक पूरे देश में न तो एक समान हैं और न ही समावेशी। ऐसे में कोविड महामारी ने पूरे भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की कमियों को उजागर किया है।

पृष्ठभूमि

- देश के स्वास्थ्य ढांचे में व्यापक पैमाने पर असमानता है। एक ओर शहरी क्षेत्रों में लोगों के लिए उन्नत स्वास्थ्य परीक्षण और उपचार प्रौद्योगिकियों के साथ अत्याधुनिक निजी स्वास्थ्य सुविधाएं मौजूद हैं। वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में यह व्यवस्था शून्य है जहां बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के लिए भी लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है।
- देश की वर्तमान अनुमानित 135 करोड़ जनसंख्या में से प्रत्येक 1,445 लोगों में केवल एक डॉक्टर है। जो डबल्यूएचओ के 1,000 लोगों में लिए एक डॉक्टर के निर्धारित मानदंड से कम है।
- ग्रामीण स्वास्थ्य अवसंरचना की स्थिति तो अत्यधिक खेदजनक है। 60 प्रतिशत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में केवल एक चिकित्सक है जबकि लगभग पांच प्रतिशत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ऐसे हैं जहाँ एक भी चिकित्सक नहीं है।
- देश में नर्स और रोगी अनुपात 1:483 है। इसका तात्पर्य है कि देश में 20 लाख नर्सों की कमी है। ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी 2017 के अनुसार, भारत में 156,231 उप-केंद्रों में 78,569 पुरुष स्वास्थ्य कर्मियों की कमी थी, सहायक नर्स मिडवाइव के बिना 6,371 उप-केंद्र थे और 4,263 उपकेंद्रों में न तो पुरुष स्वास्थ्य कर्मी थे न ही सहायक नर्स मिडवाइव थे।
- डब्ल्यूएचओ अध्ययन के मुताबिक भारत के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य-श्रमिक पर्याप्त रूप से योग्य नहीं हैं। शहरी और ग्रामीण एलोपैथिक डॉक्टरों में क्रमश: 58 फीसदी और 19 फीसदी डॉक्टर,

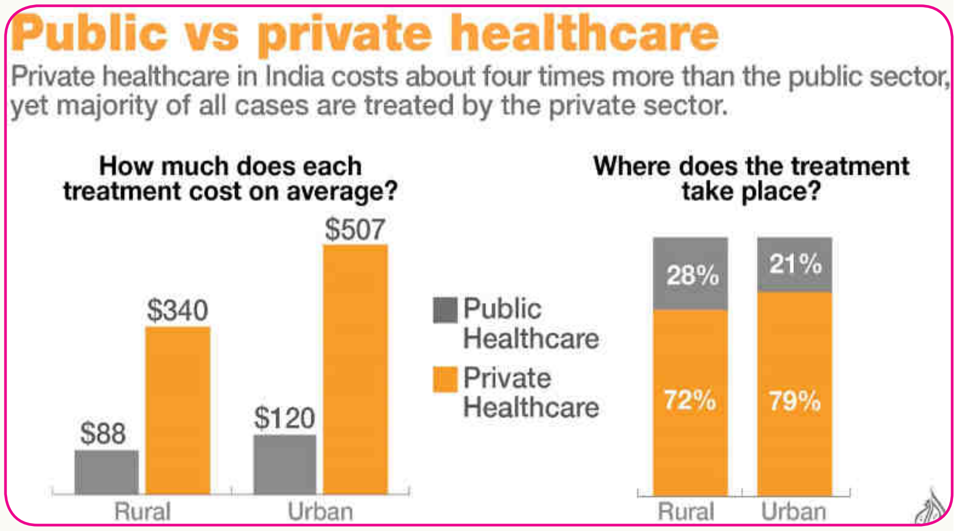

चिकित्सकीय रूप से योग्य थे। ग्रामीण इलाकों में अभ्यास करने वाली नर्सों और दाइयों में केवल 33 फीसदी ने माध्यमिक विद्यालय से ऊपर अध्ययन किया है और 11 फीसदी के पास मेडिकल योग्यता है, जैसा कि रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है।

- ध्यातव्य है कि 2018 में भारत का जन स्वास्थ्य खर्च, जीडीपी का 1.28% था। विश्व बैंक के अनुसार, 2017 में भारत की 62.4% जनसंख्या ऐसी थी जिसके पास कोई स्वास्थ्य बीमा कवर नहीं था।
  - इसका तात्पर्य यह हुआ कि इनमें से कोई व्यक्ति बीमारी से ग्रसित होता है तो उसे इसका खर्च स्वयं वहन करना पड़ेगा।
- विश्व बैंक के मुताबिक, वैश्विक स्तर पर 2017 में आउट ऑफ पॉकेट स्वास्थ्य खर्च (out-of-pocket health expenditure) का प्रतिशत 18.2% था, जबकि भारत का 62.4% था।
- आउट ऑफ पॉकेट स्वास्थ्य खर्च का तात्पर्य ऐसे स्वास्थ्य खर्च से है, जिसे जनता प्रत्यक्ष रूप से अपनी सेविंग (पॉकेट) से वहन करती है अर्थात जिस पर किसी भी प्रकार का स्वास्थ्य बीमा नहीं होता है।

भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र में मौजूद प्रमुख चुनौतियां

गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच की कमी

- ग्रामीण आबादी के बीच गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा की पहुंच एक बड़ी चुनौती है।
- इसके दो प्रमुख कारण हैं-
  - पहला ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की अनुपलब्धता
  - दूसरा कारण उपचार के लिए दूर के अस्पतालों में जाने का मतलब यात्रा में अतिरिक्त खर्च और कम से कम एक दिन की दिहाड़ी का नुकसान।
- स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच की कमी स्वास्थ्य सेवाओं की मांग को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच में देरी तो होती ही है साथ ही देश के स्वास्थ्य सेवा के दायित्व (countrys healthcare burden) पर भी अधिक गंभीर प्रभाव पड़ता है।

जागरूकता की कमी

- स्वास्थ्य जागरूकता में कमी के लिए खराब शिक्षा या कार्यात्मक साक्षरता के न होने को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इसके अलावा विभिन्न स्तरों पर जागरूकता पर पर्याप्त ध्यान न दिया जाना भी एक कारण है।
- जागरूकता और व्यवहार परिवर्तन का अभाव सेवा की गुणवत्ता के साथ विशेषीकृत उपचार की उपलब्धता को प्रभावित करता है।
- हालांकि क्षेत्रीय स्तर पर जागरूकता बढ़ाने के प्रयासों का आशाजनक परिणाम मिल सकता है।

संवेदनशीलता की कमी

- अक्सर मरीजों के प्रति स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की संवेदनशीलता की कमी और स्वास्थ्य संस्थानों में, विशेषकर सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्रों में, लापरवाही देखने को मिलती है।

- सार्वजनिक अस्पताल नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं, उनकी क्षमता और गुणवत्ता के प्रति लोगों का विश्वास बहुत ही कम है।
- जो निजी अस्पतालों के खर्च को वहन कर सकते हैं उनके लिए निजी क्षेत्र आमतौर पहली पसंद होता है।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारत में हर एक मरीज की देखभाल एक संवेदनशील, प्रशिक्षित और सक्षम स्वास्थ्य कार्यकर्ता हो, एक स्पष्ट मानव संसाधन नीति को लागू करने की आवश्यकता है।

स्वास्थ्य सुविधाओं में व्याप्त असमानता को दूर करने के उपाय

कम लागत में स्वास्थ्य देखभाल

- स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को लागत के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है- अनावश्यक परीक्षणों और प्रक्रियाओं पर होने वाले व्यय को कम किए जाने की आवश्यकता है।
- जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट प्रक्रियाओं के अनुपालन को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

बाधाओं की पहचान

- स्वास्थ्य सेवा की पहुंच को बाधित करने वाले कारकों जैसे भौगोलिक, वित्तीय, सामाजिक और प्रणालीगत आदि सभी कारकों की पहचान की जानी चाहिए।
- साथ ही उनका पूर्ण विश्लेषण करके लोगों को इन कारकों के प्रति संवेदनशील बनाना चाहिए ताकि इनके उन्मूलन के लिए दीर्घकालिक कार्रवाई की जा सके।
- डॉक्टरों, नर्सों, चिकित्सा और तकनीकी कर्मचारियों को प्रशिक्षित, कुशल और आवश्यक उपकरणो से लैस करने की आवश्यकता है।
- इसके अलावा उनकी सेवाओं को क्षेत्र में समान रूप से वितरित किया जाना चाहिए।
- दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में कर्मचारियों की कमी को दूर किया जाना चाहिए।

डिजिटल नवाचार

- स्वास्थ्य क्षेत्र में चुनौतियों को दूर करने में डिजिटल नवाचार एक बड़ी भूमिका निभा सकता है।
- मांग-आधारित स्वास्थ्य सेवाएं की पहुँच के लिए डॉक्टरों को मरीजों से जोड़ने के लिए डिजिटल तकनीकी से वेब (वेबसाइट या ऐप) या फोन माध्यमों का उपयोग किया जा सकता है।
- इसमें मरीज अपनी सुविधानुसार रोग-विशेषज्ञों का चयन कर सकते हैं और ओर स्वयं ही उनसे मिलने का समय और दिन निर्धारित कर सकते हैं।
- ऑनलाइन पोर्टल रोगियों के चिकित्सकीय परीक्षण के परिणाम भी ऑनलाइन ही प्रदान करते हैं, साथ ही रिपोर्ट के प्रेक्षण और बीमारी के विस्तृत विवरण से रोगियों को अवगत करा देते हैं, जिससे डॉक्टरों के समय बचत होती है, और मरीज को भी लैब और अस्पताल के चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं।

अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी

- स्वास्थ्य सेवा में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग को बढ़वा दिये जाने की आवश्यकता है, जिसमें-
- ड्रोन के माध्यम जीवन रक्षक दवाओं, रक्त आदि की डिलीवरी
- दुर्गम क्षेत्रों में दूरस्थ उपकरणों से संचालित रोबोटिक सर्जरी शामिल है।

टेलीमेडिसिन का अनुप्रयोग

- संवर्धित वास्तविकता (augmented reality) के उपयोग से दूर बैठे विशेषज्ञों से जुड़कर चिकित्सा परामर्श और निदान की सुविधाओं को बढ़ाया जाना चाहिए।

अन्य

- मेडिकल बीमा जैसे उत्पादों के सम्बन्ध में लोगों को स्वास्थ्य बीमा करवाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिये जिससे एक वहनीय स्वास्थ्य सेवा तक सबकी पहुंच सुनिश्चित हो।

निष्कर्ष

- न्यायसंगत, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से सार्वभौमिक स्वास्थ्य की पहुँच को सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी चुनौतियों का समाधान किया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य के मुद्दों पर लोगों को संवेदनशील बनाने और स्वस्थ एवं सुरक्षित व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए सरकारी और निजी दोनों स्तर पर प्रयास किए जाने चाहिए।
- निजी क्षेत्र अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के माध्यम से स्वास्थ्य में समावेशिता लाने की दिशा में महत्वपूर्ण सहयोग दे सकता है।
- स्वास्थ्य क्षेत्र में डिजिटल नवाचार समावेशी स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुँच, उपलब्धता और वहनीयता जैसे मुद्दों को हल करने की क्षमता रखता है, बशर्ते इसे शीघ्रता से अपनाया जाना चाहिए।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न मुद्दे।

Topic:

- स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/ सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

प्र. कोविड-19 महामारी ने भारतीय स्वास्थ्य क्षेत्र को आईना दिखाया है, जो सरकार की दूरदर्शी नीतियों के अभाव को प्रकट करता है। इससे आप कितना सहमत है? उल्लेख करें।

04 संसद का मानसून सत्र : बिना प्रश्नकाल के

चर्चा का कारण

- लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय ने अधिसूचित किया है कि संसद के मानसून सत्र के दौरान प्रश्नकाल नहीं होगा तथा शून्यकाल कुछ प्रतिबंधों (अवधि घटा कर 30 मिनट) के साथ दोनों सदनों में सुचारु रूप से होगा। सचिवालय ने स्पष्ट किया कि कोरोना काल में शारीरिक दूरी की आवश्यकता के मद्देनजर संसद की गैलेरी में भीड़ से बचने के लिए यह कदम उठाया गया है जबकि विपक्ष ने इसकी कड़ी आलोचना की है।
- आमतौर पर जून के अंत में संसद का मानसून सत्र आयोजित किया जाता है किन्तु इस साल कोविड -19 महामारी के कारण सत्र में देरी हुई है । ये अधिसूचनाएँ 14 सितंबर और 1 अक्टूबर के बीच लागू रहेंगी । संसदीय रिकॉर्ड बताते हैं कि 1962 में चीनी आक्रमण के दौरान भी शीतकालीन सत्र में प्रश्नकाल नदारद था।

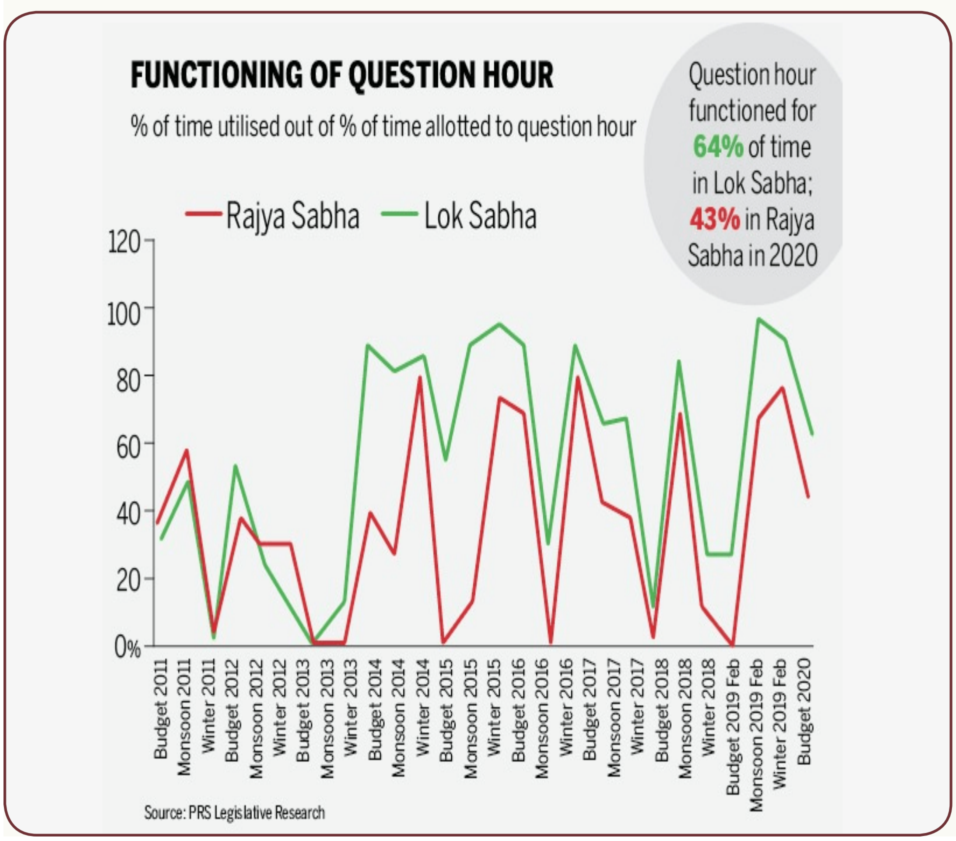

प्रश्नकाल क्या है?

- सामान्यतया, लोकसभा की बैठक का पहला घंटा प्रश्नों के लिए होता है और उसे प्रश्नकाल कहा जाता है। इसका संसद की कार्यवाही में विशेष महत्व है। प्रश्नकाल के दौरान संसद सदस्य प्रशासन और सरकार के कार्यकलापों के प्रत्येक पहलू पर प्रश्न पूछ सकते हैं।
- प्रश्नकाल के दौरान सरकार को कसौटी पर परखा जाता है और प्रत्येक मंत्री, जिसकी प्रश्नों का उत्तर देने की बारी होती है, को अपने प्रशासनिक कृत्यों में भूल चूक के संबंध में उत्तर देना होता है।
- प्रश्न काल संसदीय कार्यवाही का एक रोचक भाग है। यद्यपि प्रश्न में मुख्यत: जानकारी मांगी जाती है और एक विषय विशेष पर तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है फिर भी कई बार प्रश्न पूछने वाले सदस्यों और उत्तर देने वाले मंत्रियों के बीच जीवंत और द्रुत हाजिरजवाबी देखने को मिलती है।
- पिछले 70 वर्षों में, सांसदों ने सरकारी कामकाज पर प्रकाश डालने के लिए इस संसदीय उपकरण का सफलतापूर्वक उपयोग किया है। उनके सवालों ने वित्तीय अनियमितताओं को उजागर किया है और सरकारी कामकाज के बारे में डेटा और जानकारी को सार्वजनिक डोमेन पर लाया है। 1991 के बाद प्रश्नकाल के प्रसारण के साथ, प्रश्नकाल संसदीय कार्यप्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण पहलू बन गया है।
- भारत ने यह पद्धति इंग्लैंड से ग्रहण की है जहाँ सबसे पहले 1721 में इसकी शुरुआत हुई थी। भारत में संसदीय प्रश्न पूछने की शुरुआत 1892 के भारतीय परिषद् अधिनियम के तहत हुई। आजादी से पहले भारत में प्रश्न पूछने के अधिकार पर कई प्रतिबंध लगे हुए थे, लेकिन आजादी के बाद उन प्रतिबंधों का खत्म कर दिया गया।

प्रश्न के प्रकार

- **तारांकित प्रश्न :** वह होता है जिसका सदस्य सभा में मौखिक उत्तर चाहता है और पहचान के लिए उस पर तारांक बना रहता है। जब प्रश्न का उत्तर मौखिक होता है तो उस पर अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मौखिक उत्तर के लिए एक दिन में केवल 20 प्रश्नों को सूचीबद्ध किया जा सकता है।
- **अतारांकित प्रश्न:** वह होता है जिसका सभा में मौखिक उत्तर नहीं मांगा जाता है और जिस पर कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। ऐसे प्रश्न का लिखित उत्तर प्रश्न काल के बाद जिस मंत्री से वह प्रश्न पूछा जाता है, उसके द्वारा सभा पटल पर रखा गया मान लिया जाता है। इसे सभा की उस दिन के अधिकृत कार्यवाही वृत्तान्त (ऑफिशियल रिपोर्ट) में छापा जाता है। लिखित उत्तर के लिए एक दिन में केवल 230 प्रश्नों को सूचीबद्ध किया जा सकता है।

- **अल्प सूचना प्रश्नः** वह होता है जो अविलम्बनीय लोक महत्व से संबंधित होता है और जिसे एक सामान्य प्रश्न हेतु विनिर्दिष्ट सूचनावधि से कम अवधि के भीतर पूछा जा सकता है। एक तारांकित प्रश्न की तरह, इसका भी मौखिक उत्तर दिया जाता है जिसके बाद अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
- गैर सरकारी सदस्य हेतु प्रश्न स्वयं सदस्य से ही पूछा जाता है और यह उस स्थिति में पूछा जाता है जब इसका विषय सभा के कार्य से संबंधित किसी विधेयक, संकल्प या ऐसे अन्य मामले से संबंधित हो जिसके लिए वह सदस्य उत्तरदायी हो। ऐसे प्रश्नों हेतु ऐसे परिवर्तनों सहित, जैसा कि अध्यक्ष आवश्यक या सुविधाजनक समझे जाएं, वही प्रक्रिया अपनायी जाती है जो कि किसी मंत्री से पूछे जाने वाले प्रश्न के लिए अपनायी जाती है।

शून्य काल एवं उसका महत्व

- शून्यकाल की अवधारणा भारतीय संसद के पहले दशक में शुरू हुई, जब सांसदों को महत्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्र और राष्ट्रीय मुद्दों को उठाने की आवश्यकता महसूस हुई। शून्यकाल एक भारतीय संसदीय नवाचार है। शून्य काल का संसदीय प्रक्रिया के नियमों में उल्लेख नहीं है।
- शून्यकाल का समय प्रश्नकाल के तुरंत बाद अर्थात दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक होता होता है। इस अवधि में बिना अग्रिम सूचना के सांसद राष्ट्रीय मुद्दों को उठा सकते हैं। वर्षों से, दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों ने इसे और भी प्रभावी बनाने के लिए शून्यकाल के काम को सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए हैं। इसके महत्व का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसे नियम पुस्तिका का हिस्सा नहीं होने के बावजूद नागरिकों, मीडिया, सांसदों और पीठासीन अधिकारियों से समर्थन प्राप्त है।

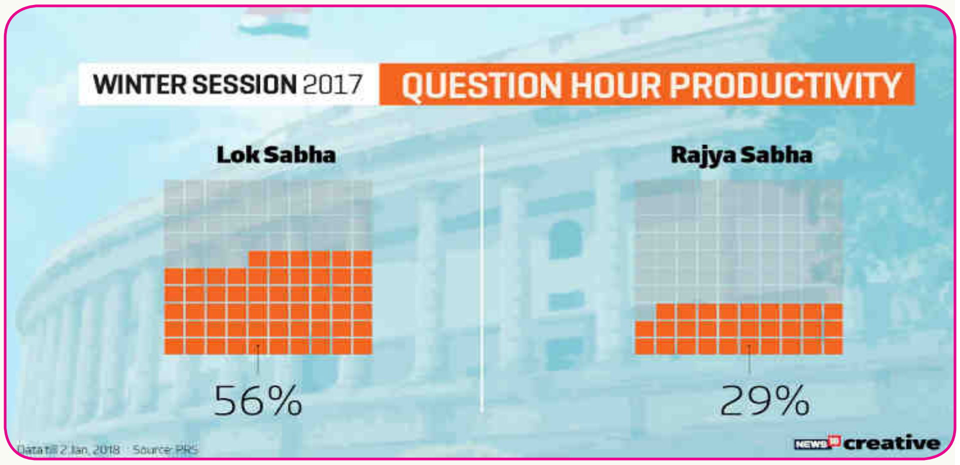

प्रश्नकाल का महत्व

- प्रश्नकाल के माध्यम से सरकार राष्ट्र की नब्ज को तुरन्त पहचान लेती है और तदनुसार अपनी नीतियों और कृत्यों को उसके अनुरूप ढाल लेती है। चूंकि सदस्य प्रश्नकाल के दौरान प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं इसलिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्यों संबंधी सरकारी नीतियों पर पूरा ध्यान केन्द्रित होता है।
- संसद में प्रश्नों के माध्यम से सरकार लोगों से संपर्क रख पाती है क्योंकि इसके माध्यम से ही सदस्य प्रशासन से संबंधित मामलों में लोगों की समस्याओं को प्रस्तुत कर पाते हैं। प्रश्नों से मंत्रालय अपनी नीति और प्रशासन के बारे में लोकप्रियता का अनुमान लगा लेते हैं। प्रश्नों से मंत्रियों के ध्यान में ऐसी कई गलतियां सामने आ जाती हैं जिस पर शायद ध्यान नहीं जाता। कई बार जब उठाया गया मामला इतना गंभीर हो कि वह लोगों के दिमाग को आंदोलित कर दे और वह व्यापक लोक महत्व का हो तो प्रश्नों के माध्यम से किसी आयोग की नियुक्ति, न्यायालयी जांच अथवा कोई विधान भी बनाना पड़ जाता है।

आगे की राह

- प्रश्नकाल का महत्व केवल सांसदों के प्रश्न पूछने के अधिकार तक सीमित नहीं है। इसका राजनीतिक प्रभाव भी है। संसद के इतिहास में प्रश्नकाल के कारण कई घोटाले सामने आए हैं। लोक सभा एवं राज्य सभा सचिवालय द्वारा यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब जीडीपी में 23 प्रतिशत की गिरावट हुई है साथ ही भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ रहा है, इसके अलावा राज्यों में बाढ़ ने कई लोगों की जान ले ली है, और कोविड के संकट का कोई हल निकट समय में दिखाई नहीं पड़ रहा है। ऐसे में आवश्यकता इस बात की है कि सरकार की जवाबदेहिता सुनिश्चित हो और संसदीय कार्यवाही संविधान की भावना के अनुरूप चले।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- संसद और राज्य विधायिका- संरचना, कार्य, कार्य संचालन, शक्तियां एवं विशेषाधिकार और इनसे उत्पन्न होने वाले मुद्दे।

प्र. प्रश्नकाल के माध्यम से सरकार राष्ट्र की नब्ज को तुरन्त पहचान लेती है और तदनुसार अपनी नीतियों और कृत्यों को उसके अनुरूप ढाल लेती है। चर्चा कीजिये।

05 जीएसटी भुगतान का मुद्दा और समाधान के संभावित विकल्प

चर्चा का कारण

- वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत लंबित मुआवजे के भुगतान को लेकर केंद्र-राज्य के संघर्ष ने 41वीं जीएसटी परिषद की बैठक में एक नया मोड़ लिया। हाल ही में हुए जीएसटी परिषद की इस बैठक में, केंद्र ने राज्यों द्वारा ऋण की कमी के लिए दो विकल्पों का सुझाव दिया, लेकिन कई राज्य इससे असहमत हैं।

पृष्ठभूमि

- गौरतलब है कि कोविड-19 के कारण जीएसटी संग्रह पर काफी असर पड़ा है। जीएसटी कानून के तहत, राज्यों को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के लागू होने से राजस्व में किसी भी कमी को पहले पांच साल तक पूरा करने की गारंटी दी गई है। कोरोना महामारी के चलते जीएसटी के राजस्व में 2.35 लाख करोड़ की कमी आई है, इस संदर्भ में केंद्र ने कहा है कि वो राज्यों को जीएसटी (GST) की बकाया रकम का भुगतान करेगी।
- केंद्र सरकार के मुताबिक उसकी कानूनी बाध्यता केवल जीएसटी के कारण राजस्व में हुए नुकसान की भरपाई करने की है क्योंकि अप्रैल से जुलाई तक राज्यों का जीएसटी मुआवजा भुगतान लंबित है, जिसकी अनुमानित राशि 1.5 लाख करोड़ रुपये है। इस साल जीएसटी क्षतिपूर्ति की आवश्यकता लगभग 3 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जबकि उपकर संग्रह लगभग 65,000 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।
- जुलाई 2017 से जून 2022 तक के संक्रमण काल के लिए जीएसटी मुआवजे का भुगतान किया जाना है, जीएसटी के लागू होने से करीब 97,000 करोड़ रुपये के भरपाई की कमी आ रही है। बाकी अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के असर के कारण है।
- परन्तु अटॉर्नी जनरल ने इस संदर्भ में सुझाव दिया है कि वर्तमान में क्षतिपूर्ति अंतर (कम्पनसेशन गैप) को भारत के समेकित

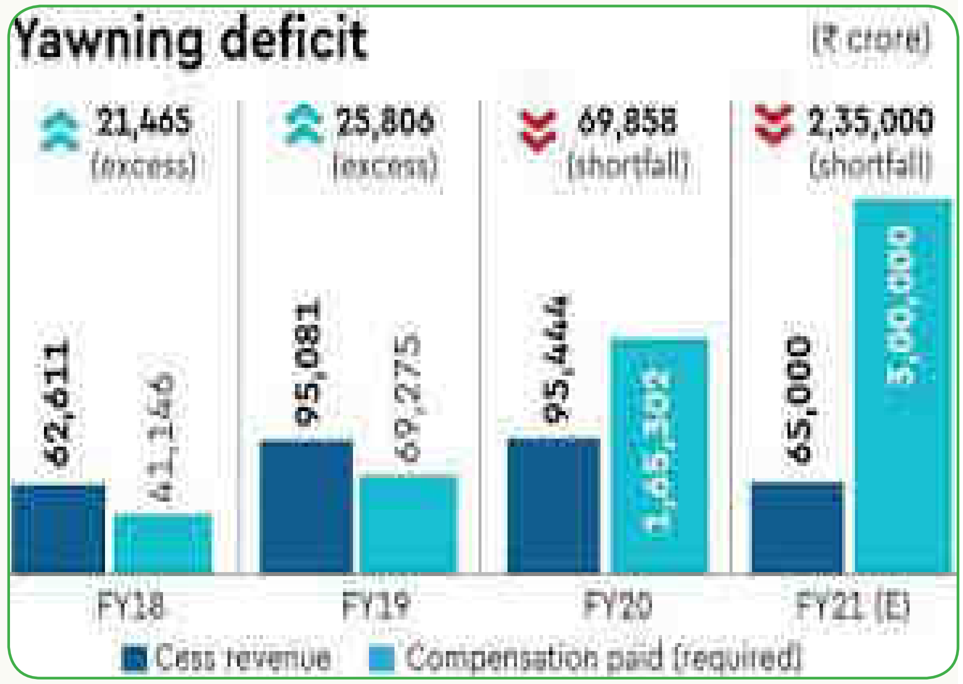

कोष (कंसोलिडेटेड फंड) का उपयोग करके पूरा नहीं किया जा सकता है। इस कमी को पूरा करने के लिए मुआवजा उपकर पांच साल से आगे बढ़ाया जा सकता है।

- इस संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Services Tax- GST) राजस्व कमी को पूरा करने के लिए राज्यों के समक्ष दो विकल्प प्रस्तुत किए गए हैं।
  - रिजर्व बैंक से विचार-विमर्श के बाद राज्य विशेष विकल्प के तौर पर 97,000 करोड़ रुपये, G-Sec (सरकारी प्रतिभूति) से जुड़ी दरों पर ऋण के रूप में ले सकते हैं।
  - दूसरा विकल्प यह है कि राज्य स्पेशल विंडो के जरिये 2,35,000 करोड़ रुपये के पूरे जीएसटी क्षतिपूरक अंतर को पूरा करने के लिए उधारी ले सकते हैं। इसके लिए भी आरबीआई से व्यवस्था की जा सकती है तथा कुछ सुविधाएं भी दी जा सकती हैं। हालाँकि इस विकल्प के लिए अब तक कोई FRBM छूट का उल्लेख नहीं किया गया है।
- इस राशि का भुगतान पांच साल बाद उपकर संग्रह से किया जा सकता है। इस उपकर को चालू वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख से आगामी एक वर्ष अथवा उससे अधिक समय के लिए डीमैरिट गुड्स (Demerit Goods) पर लगाया जा सकता है।

क्षतिपूर्ति उपकर

- कोरोना महामारी से पहले ही जीएसटी संग्रह के साथ क्षतिपूर्ति उपकर लक्ष्य से कम रहा है। कारण केंद्र के लिए राज्यों को क्षतिपूर्ति करना मुश्किल हो गया है, एक तरफ जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर लक्ष्य से कम रहा तो दूसरी तरफ केंद्र ने पेट्रोल और डीजल पर उपकर बढ़ाया है ये दोनों जीएसटी के दायरे से बाहर हैं। इसके जरिये उपकर के रूप में करोड़ों रुपये संग्रह किए गए, लेकिन, उसे राज्यों के साथ साझा नहीं किया गया।
- क्षतिपूर्ति उपकर (Compensation Cess) के विधि-विधान जीएसटी (राज्यों को मुआवजा) संशोधन विधेयक, 2017 द्वारा निर्दिष्ट किए गए थे।
  - इस अधिनियम में माना गया है कि सभी करों को जीएसटी में समाहित करने के बाद से प्रत्येक राज्य के जीएसटी राजस्व में, वित्तीय वर्ष 2015-16 में एकत्र की गई राशि से, प्रति वर्ष 14% की दर से वृद्धि होगी, अर्थात कमी का आकलन

राज्यों के जीएसटी संग्रह में आधार वर्ष 2015-16 के तहत 14 फीसदी सालाना वृद्धि को आधार बनाकर किया जाता है।

- राज्य द्वारा किसी भी वर्ष में इस राशि से कम कर-संग्रह किये जाने पर होने वाली हानि की भरपाई की जाएगी। राज्यों को इस राशि का भुगतान प्रति दो महीने में अनंतिम खातों के आधार पर किया जाएगा, तथा प्रति वर्ष राज्य के खातों के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा ऑडिट किए जाने के पश्चात समायोजित किया जाएगा।
- यह योजना पाँच वर्षों, अर्थात् जून 2022 तक के लिए वैध है।

क्षतिपूर्ति उपकर निधि या मुआवजा उपकर कोष

- राज्यों को राजस्व हानि होने पर क्षतिपूर्ति प्रदान करने के एक क्षतिपूर्ति उपकर निधि (Compensation cess fund) का गठन किया गया है। कुछ वस्तुओं पर अतिरिक्त उपकर लगाया जाएगा और इस उपकर का उपयोग राज्यों को मुआवजे का भुगतान करने के लिए किया जाएगा।
- इन वस्तुओं में पान मसाला, सिगरेट और तम्बाकू उत्पाद, वायवीय पानी, कैफीनयुक्त पेय पदार्थ, कोयला और कुछ यात्री मोटर वाहन सम्मिलित हैं।
- जीएसटी अधिनियम में कहा गया है कि संग्रहित उपकर तथा जीएसटी परिषद द्वारा निर्धारित की गयी इस तरह की अन्य राशि को क्षतिपूर्ति उपकर निधि में जमा किया जायेगा।

समस्याएँ

- ध्यातव्य है कि अधिकांश अर्थशास्त्रियों द्वारा इस वर्ष वास्तविक जीडीपी वृद्धि की संभावना को नकारात्मक बताया जा रहा है।
- चूंकि, अप्रत्यक्ष करों को कारोबार की नाममात्र कीमतों (Nominal Value) पर लगाया जाता है, इससे राज्यों को प्राप्त होने वाले सुनिश्चित कर-संग्रह से महत्वपूर्ण कमी हो सकती है।
- परन्तु मुख्य समस्या यह है कि जीएसटी अधिनियम 2017 राज्यों के लिए 14% कर वृद्धि दर की गारंटी प्रदान करता है, जोकि इस वर्ष संभव प्रतीत नहीं हो रही है, क्योंकि वित्त वर्ष 2019-20 में राज्यों को दिया जाने वाला क्षतिपूर्ति भुगतान लगभग 70,000 करोड़ रुपए कम है,साथ ही इस महामारी तथा अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव का किसी को पूर्व अंदाजा नहीं था, इसलिए 14% का लक्ष्य शुरू से ही काफी महत्वाकांक्षी था जोकि अब असंभव दिख रहा है।
- इसके अलावा राज्यों का स्पष्ट कहना है कि जिस समय देश में जीएसटी कानून को लागू किया जा रहा था, उस समय केंद्र सरकार ने राज्यों को इस बात का भरोसा दिया था कि इस नए कर कानून के लागू होने के बाद राज्यों को जितना राजस्व का नुकसान होगा, अगले पांच साल तक उसकी भरपाई केंद्र सरकार करेगी। परन्तु अब परिषद और केंद्र सरकार ने उन्हें राजस्व नुकसान के एवज में क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान करने के बजाए बाजार और रिजर्व बैंक से कर्ज लेने का सुझाव दिया है, जो उन्हें मान्य नहीं है।

निष्कर्ष

- देश की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने की तात्कालिक आवश्यकता है और सरकार को भी उन तरीकों के बारे में विचार करने की जरूरत है जिनके माध्यम से GST संग्रह को बढ़ाया जा सकता है। हालाँकि इस समस्या हेतु निम्नलिखित संभावित समाधान हो सकते हैं:
- आपातकालीन परिस्थितियों में संविधान में संशोधन करके गारंटी-अवधि को घटाकर तीन वर्ष (जून 2020 को समाप्त) किया जा सकता है परन्तु ऐसा करना मुश्किल होगा क्योंकि अधिकांश राज्य इस प्रस्ताव से सहमत नहीं होंगे।
- केंद्र सरकार, इस क्षतिपूर्ति निधि की भरपाई केंद्रीय राजस्व से कर सकती है। राज्य इस प्रस्ताव से सहमत होंगे। परंतु वर्तमान परिस्थितियों में यह विकल्प व्यवहार्य नहीं प्रतीत होता, क्योंकि केन्द्रीय वित्त की स्थिति, केन्द्रीय कर-संग्रह में कमी तथा स्वास्थ्य व आर्थिक संकटों के कारण अतिरिक्त व्यय का होना उचित नहीं है।
- केंद्र सरकार राज्यों को इस बात के लिए राजी कर सकती है कि 14% विकास लक्ष्य आरंभ से ही अयथार्थवादी था। इस लक्ष्य को नाममात्र जीडीपी वृद्धि से जोड़ा जाना चाहिए था। यदि केंद्र जीएसटी परिषद के माध्यम से राज्यों के लिए कर-सीमा को पुनर्निर्धारित करने के लिए तैयार कर लेती है, तो वह जीएसटी अधिनियम 2017 में संशोधन करने हेतु संसद में एक विधेयक ला सकती है।
- इसके अलावा केंद्र सरकार उपकर निधि के आधार पर ऋण ले सकती है। राज्यों को मुआवजा क्षतिपूर्ति देने के लिए केंद्र पाँच वर्ष की समयावधि को बढ़ाकर सात वर्ष करने के बारे में सोच सकती है।

सामान्य अध्ययन पेपर-3

Topic:

- भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित मुद्दे।

प्र. हाल ही में हुए जीएसटी परिषद की बैठक में वस्तु एवं सेवा कर को लेकर सुझाए गये विकल्पों पर विस्तार से चर्चा करें।

06 निर्यात तैयारी सूचकांक–2020 : एक परिचय

चर्चा का कारण

- हाल ही में नीति आयोग ने प्रतिस्पर्धात्मकता संस्थान की साझीदारी में निर्यात तैयारी सूचकांक (ईपीआई)-2020 पर रिपोर्ट जारी की है।

परिचय

- वर्तमान में कई विदेशी कंपनियाँ भारत की ओर रूख कर रहीं हैं और भारत सरकार भी देश को एक वैश्विक निर्यात केंद्र के रूप में स्थापित करना चाहती है।
- वर्तमान में चीन को वैश्विक विनिर्माण केंद्र कहा जाता है क्योंकि यहाँ उत्पादित माल व सेवाएँ दुनियाँ के लगभग सभी देशों में पहुंचती हैं।
- कुछ देशों ने चीन पर आरोप लगाया है कि उसने कोविड-19 महामारी से निपटने में शुरुआत में ढिलाई बरती और समय रहते विश्व जगत को इसके बारे में आगाह नहीं किया। इससे चीन के प्रति लोगों का विश्वास कम हुआ है और वो चीन से आयात होने वाली माल व सेवाओं का प्रतिस्थापन चाहते हैं। कुछ समय के लिए वैश्विक स्तर पर चीन के माल व सेवाओं के बहिष्कार की लहर भी देखी गयी है। इस स्थिति का भारत जैसे देश फायदा उठाना चाहते हैं ,इसीलिए भारत अपनी निर्यात सुविधाओं को मजबूत करना चाहता है।
- भारत का प्रति व्यक्ति निर्यात 241 डॉलर है। वहीं, दक्षिण कोरिया में प्रति व्यक्ति निर्यात 17,000 डॉलर है। जबकि चीन में यह 18,000 डॉलर है। ऐसे में भारत में निर्यात के लिए बहुत अधिक संभावनाएं मौजूद हैं।
- विश्व निर्यात में भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 1.7 प्रतिशत है, जिसे भारत सरकार द्वारा इस दशक में पाँच प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है।
- कई आर्थिक विशेषज्ञ मानते हैं कि निर्यात, आर्थिक विकास के महत्त्वपूर्ण कारकों में से एक है। उनका कहना है कि प्रायः ऐसा देखा गया है कि पारंपरिक आयात प्रतिस्थापन की नीति से अधिक निर्यात-उन्मुख नीति देश के उच्च और निरंतर आर्थिक विकास में अधिक भूमिका अदा करती है।
- अगर भारत 2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना चाहता है तो इसमें भारतीय माल व सेवाओं के निर्यात की भी मुख्य भूमिका होगी।

निर्यात तैयारी सूचकांक (ईपीआई)

- देश में राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों की निर्यात तैयारी का मूल्यांकन करने के लिये निर्यात तैयारी सूचकांक (ईपीआई) को नीति आयोग ने सर्वप्रथम वर्ष 2019 में जारी किया था। तब से यह प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है।
- नीति आयोग का यह निर्यात तैयारी सूचकांक (ईपीआई) प्रतिस्पर्द्धी संघवाद की भावना को ध्यान में रखते हुए उन सभी कारकों का आकलन करता है जो किसी राज्य अथवा संघ शासित प्रदेश के निर्यात प्रदर्शन को निर्धारित करने में अनिवार्य भूमिका अदा करते हैं।
- भारतीय अर्थव्यवस्था में विश्व स्तर पर एक मजबूत निर्यातक बनने की असीम क्षमता है। इस क्षमता का उपयोग करने के लिए, यह महत्वपूर्ण है कि भारत अपने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर मुड़े और उन्हें देश के निर्यात प्रयासों में सक्रिय सहभागी बनाये। इस विजन को प्राप्त करने की एक कोशिश में, निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 राज्यों की संभावनाओं एवं क्षमताओं का मूल्यांकन करता है।
- ईपीआई का उद्देश्य भारतीय राज्यों की निर्यात तैयारी और निष्पादन की जांच करनना, चुनौतियों और अवसरों की पहचान करना, सरकारी नीतियों की प्रभावोत्पादकता को बढ़ाना और एक सुविधाजनक नियामकीय संरचना को प्रोत्साहित करना इत्यादि है।
- ईपीआई की संरचना में 4 स्तंभ-नीति, व्यवसाय परितंत्र, निर्यात परितंत्र, निर्यात निष्पादन तथा 11 उप स्तंभ - निर्यात संवर्धन नीति, संस्थागत संरचना, व्यवसाय वातावरण, अवसंरचना, परिवहन संपर्क, वित्त की सुविधा, निर्यात अवसंरचना, व्यापार सहायता, अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना, निर्यात विविधीकरण और विकास अनुकूलन शामिल हैं।
- निर्यात तैयारी सूचकांक उप-राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात संवर्धन के लिए महत्वपूर्ण प्रमुख क्षेत्रों की पहचान के लिए एक डाटा केंद्रित प्रयास है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उन महत्वपूर्ण मानदंडों पर आकलन किया गया है जो टिकाऊ निर्यात वृद्धि अर्जित करने के लिए किसी भी पारंपरिक आर्थिक इकाई के लिए निर्णायक हैं। यह सूचकांक निर्यात संवर्धन के संबंध में क्षेत्रीय निष्पादन के मानदंड के लिए राज्य सरकारों के लिए एक सहायक मार्गदर्शिका होगी।

ईपीआई -2020 के निष्कर्ष

- ईपीआई -2020 में गुजरात को शीर्ष स्थान हासिल हुआ है। महाराष्ट्र और तमिलनाडु इस सूचकांक में क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं।
- ईपीआई -2020 रिपोर्ट के मुताबिक छह तटीय राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ओडिशा, कर्नाटक और केरल पहले 10 राज्यों में शुमार हैं। कुल मिलाकर, अधिकांश तटीय राज्य सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों में से हैं। शीर्ष 10 की रैंकिंग में आठ में से छह तटीय राज्य शामिल हैं जो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मजबूत सक्षमकारी और सुगमकारी कारकों की उपस्थिति का संकेत देते हैं।
- मैदानी क्षेत्र के राज्यों में राजस्थान का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा है। इसके बाद तेलंगाना और हैदराबाद का स्थान आता है।
- हिमालयी अर्थात पहाणी राज्यों की बात की जाए तो ईपीआई -2020 में उत्तराखंड शीर्ष पर रहा। इसके बाद त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश का स्थान आता है।
- केंद्रशासित प्रदेशों में दिल्ली का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा है। उसके बाद गोवा और चंडीगढ़ का स्थान आता है।
- इस संस्करण के साथ ईपीआई ने यह प्रदर्शित किया है कि अधिकांश भारतीय राज्यों ने निर्यात विविधीकरण, परिवहन संपर्क एवं अवसंरचना के उप स्तंभों में औसतन अच्छा प्रदर्शन किया है। इन तीनों उप स्तंभों में

भारतीय राज्यों का औसत स्कोर 50 प्रतिशत से अधिक रहा। इसके अतिरिक्त, निर्यात विविधीकरण एवं परिवहन संपर्क में निम्न मानक विचलन को देखते हुए, औसतों को असमान रूप से कुछ अधिक अच्छा प्रदर्शन करने वालों के द्वारा उच्चतर नहीं किया गया है। तथापि, भारतीय राज्यों को निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार लाने के लिए अन्य प्रमुख घटकों पर भी फोकस करना चाहिए।

- रिपोर्ट यह भी रेखांकित करती है कि निर्यात अनुकूलन और तैयारी केवल समृद्ध राज्यों तक ही सीमित नहीं है। उभरते हुए राज्य भी गतिशील निर्यात नीति उपाय कर सकते हैं, वहां कार्यशील संवर्धन संबंधी परिषद हो सकती है और अपने निर्यातों को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय संभार तंत्र संबंधी योजनाओं के साथ तालमेल बिठा सकते हैं। छत्तीसगढ़ और झारखंड भूमि से घिरे हुए दो राज्य हैं जिन्होंने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय आरंभ किए। इसी प्रकार की सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे अन्य राज्य भी छत्तीसगढ़ और झारखंड द्वारा किए गए उपायों पर गौर कर सकते हैं और अपने निर्यात को बढ़ाने के लिए उन्हें कार्यान्वित कर सकते हैं।
- वृद्धि अनुकूलन उप स्तंभ के तहत पूर्वोत्तर के कई राज्य अपने स्वदेशी उत्पाद बास्केट पर ध्यान केंद्रित करने के द्वारा निर्यात में बढोतरी करने में सक्षम रहे। यह प्रदर्शित करता है कि ऐसे बास्केटों (जैसे मसाले) का केंद्रीकृत विकास एक तरफ निर्यात को बढ़ावा दे सकता है तो दूसरी तरफ इन राज्यों में किसानों की आय में भी बढोतरी कर सकता है।

चुनौतियाँ

- निर्यात तैयारी सूचकांक (ईपीआई)-2020 की रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर, भारत में निर्यात संवर्धन को तीन बुनियादी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है:
- निर्यात अवसंरचनाओं में क्षेत्रों के भीतर एवं अंत:क्षेत्रीय विषमताएं,
- राज्यों के बीच निम्न व्यापार सहायता तथा विकास अनुकूलन,
- जटिल एवं अनूठे निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निम्न अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना।
- भारत का वैश्विक आपूर्ति शृंखला शृंखला (global supply chain) से अपर्याप्त जुड़ाव है।
- भारत में उस स्तर की अत्याधुनिक तकनीक एवं कुशल श्रमबल नहीं है, जो वैश्विक मांग के अनुरूप नवाचार युक्त उत्पाद उपलब्ध करा सकें।
- उत्पादन के केंद्र के रूप में भारत को बांग्लादेश एवं वियतनाम कड़ी प्रतिस्पर्धा दे रहे हैं। बांग्लादेश एवं वियतनाम में भारत की अपेक्षा उत्पादन लागत कम है। यही कारण है कि चीन से अपना कारोबार समेटने वाली कंपनियाँ भारत की अपेक्षा बांग्लादेश एवं वियतनाम की ओर ज्यादा रूख कर रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह स्थिति भारतीय निर्यात में प्रमुख बाधा है।
- भारत में लाजिस्टिक कीमतें भी काफी अधिक हैं जो भारतीय निर्यात के दामों में वृद्धि कर देती हैं,जिससे वो वैश्विक प्रतिस्पर्धा में नहीं तिक पाते हैं।
- कोविड-19 महामारी ने भी अभूतपूर्व चुनौतियाँ उत्पन्न की हैं।

भारत सरकार के निर्यात को बढ़ाने हेतु प्रयास

- भारत सरकार ने निर्यात के संबंध में व्यापारियों को आसानी से अपना रिफंड पाने हेतु वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत पूर्णतया 'स्वचालित इलेक्ट्रानिक रिफंड रूट' की स्थापना की है।
- भारत में लाजिस्टिक कीमतों को घटाने हेतु बुनियादी ढांचा का विकास किया जा रहा है।
- भारत क्वाड ग्रुप के देशों के साथ मिलकर हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में एक सुदरण आपूर्ति शृंखला का विकास कर रहा है।
- भारत ने अपनी एफडीआई नीति को भी उदार किया है।
- आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सरकार देश में ही विनिर्माण को बढ़ावा दे रही है। इसीलिए भारत सरकार ने हाल ही में रक्षा उत्पादन हेतु 100 उत्पादों की ऐसी सूची जारी की है जिन्हें देश में ही उत्पादित किया जाएगा।
- भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में स्वदेशी विनिर्माण हेतु एक प्रोत्साहन योजना भी चला रही है ताकि इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के संबंध में भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाया जा सके।

आगे की राह

- निर्यात आत्मनिर्भर भारत अभियान का अभिन्न हिस्सा है और भारत को जीडीपी और विश्व व्यापार में निर्यात की हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश जारी रखनी चाहिए।
- भारत सरकार को आने वाले वर्षों में विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी को दोगुना करने का प्रयत्न करना चाहिए।
- राज्यों को निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक अलग से विभाग बनाने पर विचार करना चाहिए।
- निर्यात तैयारी सूचकांक (ईपीआई) सभी हितधारकों को राष्ट्रीय एवं राज्यीय दोनों ही स्तरों पर निर्यात परितंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए दिशा- निर्देशित करेगा।
- निर्यात से संबन्धित चुनौतियों का सामना करने के लिए इन प्रमुख कार्यनीतियों पर जोर दिए जाने की आवश्यकता है: निर्यात अवसंरचना का एक संयुक्त विकास, उद्योग-शिक्षा क्षेत्र संपर्क का सुदृढ़ीकरण और आर्थिक कूटनीति के लिए राज्य स्तरीय भागीदारी।

सामान्य अध्ययन पेपर-3

Topic:

- भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबधित मुद्दे।

प्र. हाल ही में नीति आयोग ने निर्यात तैयारी सूचकांक (ईपीआई)-2020 पर रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताएं कि भारत इस समय निर्यात से संबन्धित किस प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रहा है? भारत में निर्यात को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है?

07 सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा : वर्तमान समय की मांग

संदर्भ

- जलवायु परिवर्तन और पानी की कमी के इस युग में, लघु सिंचाई पद्धति फसलों की उपज को बढ़ाने के साथ- साथ उर्वरक तथा श्रम आवश्यकताओं को कम करने में मदद कर सकती है। इस लेख में लघु सिंचाई की महत्ता पर जोर दिया गया है।

परिचय

- भारत पानी की कमी और जनसंख्या विस्फोट की दोहरी चुनौती का सामना कर रहा है। वर्तमान में चल रहे जल संकट ने लगभग 600 मिलियन लोगों को प्रभावित किया है। जानकारों का मानना है कि आगामी दशकों में जल संकट के हालत और बदतर हो जाएँगे जिससे कृषि एवं उससे जुड़ी अन्य प्रमुख गतिविधियां बुरी तरह से प्रभावित होंगी। 2050 तक जनसंख्या बढ़कर 1.6 बिलयन होने का अनुमान है, यह बढ़ी हुयी जनसंख्या पानी की मांग में और वृद्धि करेगी।
- कृषि क्षेत्र देश में ताजे पानी का सर्वाधिक उपयोग करने वाला सबसे बड़ा क्षेत्र है। यह देश में प्रति वर्ष निकले जाने वाले लगभग 761,000 बिलियन लीटर ताजे पानी का 90 प्रतिशत खपत करता है। इसके अतिरिक्त भारत में कृषि क्षेत्र में प्रति व्यक्ति पानी की खपत प्रति वर्ष 4,913 से 5,800 किलोलीटर के बीच है।
- जलवायु परिवर्तन ने भी पानी की कमी की चिंताओं को बढ़ाया है। भारत में वर्षा के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार मानसून की अस्थिरता के पीछे जलवायु परिवर्तन ही है। अस्थिर मानसूनी वर्षा जल संकट का एक बड़ा कारण है। यह किसानों की आजीविका को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। भारत में लगभग 85 प्रतिशत किसान लघु और सीमांत हैं और 60 प्रतिशत किसान कृषि के लिए मानसून निर्भर हैं।
- 1960 के दशक में हरित क्रांति की शुरुआत के बाद से पारंपरिक प्रथाओं के माध्यम से जारी सिंचाई से भूजल की गुणवत्ता में गिरावट , जल भराव, मिट्टी की लवणता, मृदा स्वास्थ्य, व फसल उत्पादकता में कमी जैसे दुष्प्रभाव दिखाई दिये हैं। ऐसे में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

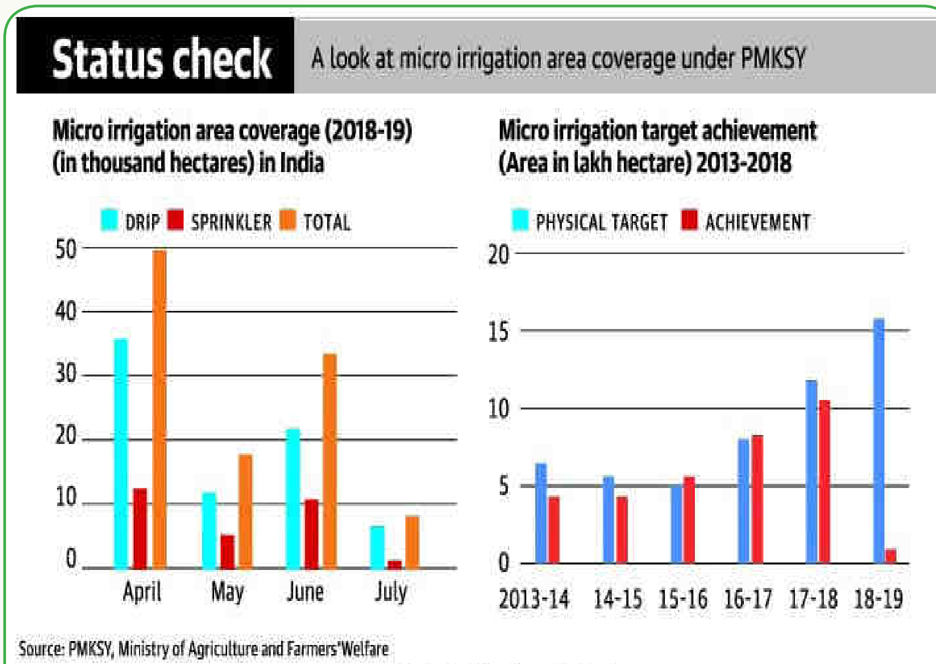

Image of Watershed Development Projects

सूक्ष्म सिंचाई एवं उसका महत्व

- सूक्ष्म सिंचाई या लघु सिंचाई प्रणाली में प्लास्टिक के पाइपों के द्वारा खेतों में पाइप बिछाई जाती है और फुहारे की सहायता से फसल में पानी की सिंचाई की जाती है। इस प्रणाली में जितनी मात्रा में पानी की जरूरत होती है फसल को उतनी ही मात्रा में पानी मिलती है। इसमें पानी की लागत 60% भी कम होती है। यह प्रणाली आय में भी कम होती है। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली में मिट्टी की उर्वरता भी बनी रहती है, यह प्रणाली गार्डन, फुल पौधे व फसलो के सिंचाई मे काम आती है। यह सिंचाई प्रणाली अत्यंत सस्ता व टिकाऊ है।
- पारंपरिक सिंचाई पद्धति से होने नुकसान से बचने के लिए लघु सिंचाई पद्धति का उपयोग किया जाना अपरिहार्य हैं। लघु सिंचाई उर्वरक आवश्यकताओं को भी कम करती है। लघु सिंचाई में पानी साथ ही उर्वरकों को भी सीधे पौधों के जड़ों में पहुंचाया जाता है। इससे पौधों को संतुलित मात्र में पोषक तत्व मिलते हैं और उर्वरकों की आवश्यकता मे न लगभग 7 से 42 प्रतिशत तक कमी हो सकती है। इससे किसानों की लागत में कमी आएगी साथ ही उर्वरक की मात्रा और दक्षता में भी सुधार होगा।
- लघु सिंचाई से बंजर भूमि को भी कृषि के लिए उपयोगी बनाया जा सकता है। केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार 519.43 हेक्टेयर बंजर भूमि को किसानों में इस पद्धति के प्रयोग से कृषि योग्य भूमि में बदला है। लघु सिंचाई पद्धति में पौधों को नुकसान पहुंचाए बिना ही सिंचाई में खारे पानी का उपयोग किया जा सकता है।
- लघु सिंचाई पद्धति में सिंचाई के दौरान बिजली के उपयोग के खर्च में महत्वपूर्ण कमी की जा सकती है। फिक्की (FICCI) की रिपोर्ट की अनुसार 30.5 प्रतिशत तक बिजली की खपत को कम किया जा सकता है।
- सिंचाई की यह विधि मृदा में अनुकूलतम नमी को बनाए रखने में भी मदद करती है, जिससे फसल उत्पादकता में वृद्धि होती है। यह फलों की उत्पादकता में 42.3 प्रतिशत

और सब्जियों की उत्पादकता में 52.8 प्रतिशत तक की वृद्धि की जा सकती है। लघु सिंचाई पद्धति फसल विविधीकरण को अपनाने में भी सहायक है।

सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की कुछ प्रमुख विधियाँ

- ड्रिप सिंचाई प्रणाली का विकास इजराइल में वर्ष 1960 में किया गया था। इस सिंचाई प्रणाली में पानी को प्लास्टिक पाइपों द्वारा पौधों के जड़ क्षेत्र में बूँद-बूँद गिराया जाता है, जिससे अनावश्यक जमीन में पानी नहीं फैलता है और पानी का वाष्पीकरण भी कम होता है। इससे लगभग 75-95 प्रतिशत तक उच्च जल उपयोग दक्षता को प्राप्त किया जा सकता है।
- माइक्रो स्प्रिंकलर का डिस्चार्ज 3 मीटर तक के रेडियस में होता है। इसका उपयोग मुख्यतः पत्तेदार सब्जियों, नर्सरी, हार्डेनिंग ऑफ सीडलिंग्स और कुछ सब्जियों में होता है। माइक्रो स्प्रिंकलर का बहाव 20-150 लीटर प्रति घंटा तक होता है।
- मिनी स्प्रिंकलर या फव्वारा सिंचाई विधि में पानी का हवा में छिड़काव किया जाता है जो कृत्रिम वर्षा का एक रूप है। इसका उपयोग मुख्यतः पौधशाला, हार्डेनिंग आफ सीडलिंग्स और सब्जियों जैसे: आलू, प्याज लहसुन, अदरक, पत्तागोभी, फूलगोभी, स्ट्राबेरी, मूंगफली, मस्टर्ड, दलहनी फसलों और छोटी ऊँचाई वाली चारा फसलों में होता है।

सरकारी प्रयास

- सिंचाई का फसल उत्पादन में महत्त्व समझते हुए और इसका बेहतर उपयोग के उद्देश्य से भारत सरकार ने वर्ष 2006-07 से एक सूक्ष्म सिंचाई योजना की शुरूआत की। भारत सरकार द्वारा सूक्ष्म सिंचाई योजना के स्थान पर सूक्ष्म सिंचाई का राष्ट्रीय मिशन (National Mission on Micro Irrigation-NMMI) जून 2010 में आरम्भ किया गया था। एनएमएमआई (NMMI) पानी के इस्तेमाल में बेहतर दक्षता, फसल की उत्पादकता और किसानों की आय में वृद्धि करने के लिये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम), तिलहनों, दालों एवं मक्का की एकीकृत योजना (आईएसओपीओएम), कपास पर प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमसी) आदि जैसे बडे सरकारी कार्यक्रमों के अंतर्गत सूक्ष्म सिंचाई गतिविधियों के समावेश को बढावा देता है ।
- केंद्र सरकार ने “हर खेत को पानी” के ध्येय के साथ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना नामक एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें लघु सिंचाई तकनीकों के माध्यम से पानी के उपयोग को कम करने पर जोर दिया गया। इस कार्यक्रम के तहत लघु और सीमांत किसानों के लिए 55 प्रतिशत तक की वित्तीय सहायता और सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों को अपनाने के लिए अन्य किसानों को 45 प्रतिशत तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है। इस योजना में नवंबर 2015 के बाद से केंद्र सरकारों और राज्य सरकार की हिस्सेदारी का अनुपात 60:40 का रहा है, जबकि उत्तर पूर्व और हिमालयी राज्यों के लिए फंडिंग पैटर्न 90:10 है।
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत नाबार्ड के साथ 5000 करोड़ रुपए की आरंभिक राशि से सूक्ष्म सिंचाई कोष बनाया गया है। इस निधि का उद्देश्य सूक्ष्म सिंचाई के लिये एवं संसाधन जुटाने में राज्यों की सहायता करना है।

आगे की राह

- निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि भारतीय कृषि में स्थिरता हासिल करने के लिए सूक्ष्म सिंचाई के महत्व की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। भारतीय कृषि में स्थिरता हासिल करने में लघु सिंचाई पद्धति का उपयोग बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। ऐसे में कृषि एवं उससे जुड़े समुदाय को भारत में इसे बड़े पैमाने पर अपनाने के लिए व्यापक प्रदर्शन, प्रशिक्षण और जागरूकता की आवश्यकता है।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि एक महत्त्वपूर्ण सेक्टर है। देश के जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ रही है परन्तु शहरीकरण एवं औद्योगीकरण के कारण खेती के लिए भूमि की उपलब्धता कम होती जा रही है। इस कारण से कृषि प्रक्षेत्र की उत्पादकता बढ़ाने के लिए उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का उचित ढंग से उपयोग किया जाना आवश्यक है।
- भारत में वर्ष 1991 और 2001 में सतही पानी की उपलब्धता प्रतिव्यक्ति प्रति वर्ष क्रमशः 2309 और 1902 क्यूबिक मीटर थी और यह अनुमान है कि वर्ष 2025 और 2050 में घटकर क्रमशः 1401 और 1191 क्यूबिक मीटर हो जायेगी। इसलिए यह समय की मांग है कि उपलब्ध पानी के उपयोग, विकास और प्रबन्ध की उचित व्यवस्था की जाय।

सामान्य अध्ययन पेपर-3

Topic:

- मुख्य फसलें, देश के विभिन्न भागों में फसलों का प्रतिरूप, सिंचाई के विभिन्न प्रकार एवं सिंचाई प्रणाली, कृषि उत्पाद का भंडारण, परिवहन तथा विपणन, संबंधित मुद्दे और बाधाएं, किसानों की सहायता के लिए ई-प्रौद्योगिकी।

प्र. भारतीय कृषि में स्थिरता हासिल करने के लिए सूक्ष्म सिंचाई के महत्व की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। चर्चा कीजिये।

7 महत्वपूर्ण ब्रेन बूस्टर्स

01 एक्ट ऑफ गॉड (Act of God)

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में, जीएसटी संग्रह में होने वाली कमी के लिए कोविड-19 को कारण ठहराते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, कि अर्थव्यवस्था 'एक्ट ऑफ गॉड' जैसी स्थिति के समतुल्य है।

2. एक्ट ऑफ गॉड क्या है

- यह एक फ्रांसीसी शब्द है।
- 'प्राकृतिक आपदा' (Force Majeure) अथवा 'एक्ट ऑफ गॉड' (Act of God) प्रावधान नेपोलियन कोड (Napoleonic Code) से लिए गए है।
- ब्लैक लॉ डिक्शनरी में 'फोर्स मेज्योर' शब्द को एक ऐसी घटना या प्रभाव के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसे न तो प्रत्याशित किया जा सकता है और न ही नियंत्रित किया जा सकता है। इस शब्द में प्रकृति घटना (जैसे बाढ़ और तूफान) और मानवीय घटना (जैसे दंगे, हमले और युद्ध) शामिल हैं।
- इसके अलावा, 'प्राकृतिक आपदा' से संबंधित नियम 'भारतीय संविदा अधिनियम, 1872' (Indian Contract Act, 1872) के तहत निर्धारित किये गए हैं।
- यह संकट की स्थिति में एक सावधानी से तैयार कानूनी व्यवस्था है जो अधिकांश वाणिज्यिक अनुबंधों में मौजूद होता है।
- 'प्राकृतिक आपदा प्रावधान' में दोनों पक्ष आवश्यक रूप से अनुबंध को भंग किए बिना, अस्थायी या स्थायी रूप से अपने दायित्वों से मुक्त होने का निर्णय ले सकती हैं।
- ऐसी स्थितियों में कंपनियां क्लॉज का उपयोग सुरक्षित निकास मार्ग के रूप में करती हैं।

3. न्यायालय की दृष्टि में यह प्रावधान

- न्यायालय ने अपने फैसलों में यह स्थापित किया है, कि प्राकृतिक आपदा प्रावधानों को किसी अनुबंध के परिपालन में कठिनाई होने पर लागू नहीं किया जा सकता है, इसे केवल असंभवता वाली स्थितियां उत्पन्न होने पर लागू किया जायेगा।
- बॉम्बे उच्च न्यायालय ने अप्रैल 2020 में एक मामले में प्राकृतिक आपदा के प्रावधानों पर बहस को स्वीकार नहीं किया, जहां याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि वह कोविड-19 से संबंधित लॉकडाउन के कारण स्टील की आपूर्ति के लिए किये गये एक अनुबंध को पूरा करने में सक्षम नहीं है, अत: उसे प्राकृतिक आपदा प्रावधानों के तहत राहत प्रदान की जाए।

4. वैश्विक उदाहरण

- चीन के सुप्रीम पीपुल्स कोर्ट द्वारा 'SARS 2002' के प्रकोप को 'प्राकृतिक आपदा' घटना के रूप में मान्यता दी गयी।
- सिंगापुर ने अप्रैल में उन व्यवसायों को राहत देने के लिए कोविड-19 (अस्थायी उपाय) अधिनियम बनाया, जो महामारी के कारण अपने संविदात्मक दायित्वों को निभाने में असमर्थ थे।
- जुलाई में, पेरिस की एक वाणिज्यिक अदालत ने निर्णय दिया कि, इस महामारी को 'प्राकृतिक आपदा' के समान माना जा सकता है।
- **इंटरनेशनल चौंबर ऑफ कॉमर्स (ICC) द्वारा विकसित की गईः प्राकृतिक आपदा' प्रावधान पर आदर्श सहिंता**
  - इस कोड में कहा गया है कि प्राकृतिक आपदा' प्रावधान को लागू करने के लिए, परिस्थितियों को याचिकाकर्ता के उचित नियंत्रण से बाहर होना चाहिए तथा अनुबंध की शुरुआत के समय इन परिस्थितियों का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता हो।

02 उत्तर अटलांटिक संधि संगठन

1. चर्चा का कारण

- वर्तमान में प्रशांत महासागर में चीन की दखल अंदाजी को रोकने हेतु अमेरिका प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ अपने रक्षा संबंधों को औपचारिक रूप देना चाहता है। चीन के साथ मुकाबला करने के उद्देश्य से वह भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) की तरह ही गठबंधन बनाना चाहता है।

2. उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो)

- यह संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और कई पश्चिमी यूरोपीय देशों द्वारा 4 अप्रैल, 1949 को उत्तरी अटलांटिक संधि (जिसे वाशिंगटन संधि भी कहा जाता है) द्वारा स्थापित एक अंतर-सरकारी सैन्य गठबंधन है, जो तत्कालीन सोवियत संघ के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के उदेश्य से गठित किया गया था।
- इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स (बेल्जियम) में है।
- मित्र देशों की कमान संचालन का मुख्यालय मॉन्स, बेल्जियम में है और इसके 30 सदस्य हैं जो मुख्य रूप से यूरोप और उत्तरी अमेरिका में हैं।
- इस वर्ष 27 मार्च को नाटो में मैसेडोनिया को नए सदस्य के रूप में जोड़ा गया।

3. पृष्ठभूमि

- बेल्जियम, नीदरलैंड, लक्जमबर्ग, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम द्वारा 17 मार्च 1948 को हस्ताक्षरित ब्रुसेल्स की संधि को नाटो समझौते का अग्रदूत माना जाता है।
- इस संधि ने पश्चिमी यूरोपीय संघ बनने हेतु एक सैन्य गठबंधन की स्थापना की। हालांकि, सोवियत संघ की सैन्य शक्ति का मुकाबला करने हेतु अमेरिकी भागीदारी को इसमें आवश्यक माना गया था और इसलिए एक नए सैन्य गठबंधन के लिए बातचीत लगभग तुरंत शुरू हो गयी। इन वार्ता के परिणामस्वरूप 4 अप्रैल 1949 को उत्तरी अटलांटिक संधि पर वाशिंगटन, डीसी में हस्ताक्षर किए गए।

4. उद्देश्य

- **राजनीतिक:** नाटो लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देता है और सदस्यों को समस्याओं को हल करने, आपस में विश्वास बनाने और लंबे समय में संघर्ष को रोकने के लिए रक्षा और सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर परामर्श और सहयोग करने में सक्षम बनाता है।
- **सैन्य:** नाटो विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। परन्तु यदि कूटनीतिक प्रयास विफल होते हैं, तो इसके पास संकट-प्रबंधन कार्यों को करने की सैन्य शक्ति भी है।

5. महत्व

- यह सामूहिक रक्षा की एक ऐसी प्रणाली का गठन करता है, जिससे इसके स्वतंत्र सदस्य राज्य किसी भी बाहरी पार्टी द्वारा किए गए हमले के जवाब में आपसी रक्षा के लिए सहमत होते हैं।

6. वारसा संधि

- नाटो की प्रतिक्रिया के रूप में, यूएसएसआर ने वॉरसॉ पैक्ट बनाया था
- 1955 में हस्ताक्षर किए गए इस समझौते का गठन शीत युद्ध के दौरान पश्चिम जर्मनी को नाटो का सदस्य बनाने के तत्काल बाद किया गया था।
- यह तत्कालीन सोवियत संघ, अल्बानिया, बुल्गारिया, स्लोवाकिया, पूर्वी जर्मनी, हंगरी, पोलैंड और रोमानिया के बीच आपसी-रक्षा संगठन स्थापित करने वाली एक संधि है।
- पूर्वी यूरोप में लोकतांत्रिक क्रांतियों और सोवियत संघ के विघटन के बाद, 1991 में इस समझौते को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया था

03 दो कृष्ण विवरों का विलय

1. चर्चा का कारण

- वर्ष 2019 में संयुक्त राज्य अमेरिका के गुरुत्व तरंग वेधशाला LIGO और इटली स्थित डिटेक्टर विर्गो (Virgo) द्वारा दो ब्लैक होल/कृष्ण विवरों के बीच टक्कर से उत्पन्न गुरुत्व तरंगों का पता लगाया गया था।
- हाल ही में इसकी गणना के हिसाब से ये गुरुत्व तरंगे लगभग 17 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर उत्पन्न हुई थी तथा इनकी उत्पत्ति के समय ब्रह्मांड की आयु इसकी वर्तमान आयु से आधी थी।

2. ब्लैक होल

- ब्लैक होल अंतरिक्ष में पाए जाने ऐसे पिंड होते है, जिनका घनत्व तथा गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक होता है। अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण, कोई भी पदार्थ अथवा प्रकाश इनके खिंचाव से बच नहीं सकता है। चूंकि, प्रकाश इनसे होकर नहीं गुजर पाता है, इसीलिये यह काले और अदृश्य होते है।
- अब तक पाए गए सभी ब्लैक होल मोटे तौर पर दो श्रेणियों में आते हैं: स्टेलर-मास ब्लैक होल (100 से कम सौर द्रव्यमान) और एक सुपरमैसिव ब्लैक होल (1,000 से अधिक सौर द्रव्यमान)।
- सुपरमैसिव ब्लैक होल (SMBH) वे हैं जो आमतौर पर आकाशगंगाओं के केंद्र में होते हैं और यूनिवर्स के शुरुआती वर्षों के दौरान बने थे। दूसरी ओर स्टेलर ब्लैक होल, सूर्य के द्रव्यमान से 100 गुना कम होता है और तारों के पतन के कारण बनता है।
- जिन ब्लैक होल में 100 से100,000 सौर द्रव्यमान होते हैं, वे IMBH हैं।
- दो ब्लैक होल के विलय से नए वर्ग का निर्माण होता है, जिसे इंटरमीडिएट-मास ब्लैक होल (IMBH) के रूप में जाना जाता है।
- इस खोज ने वैज्ञानिकों को ब्लैक होल की एक कक्षा में एक दुर्लभ झलक पेश की है, जिसका पहले कभी पता नहीं चला था। यही कारण है कि खगोलविदों ने इसे असंभव ब्लैक होल कहा है।

3. गुरुत्वाकर्षण तरंगें

- गुरुत्वीय तरंगे, किसी सुपरनोवा के एक तारे के विस्फोटित होने पर,अथवा दो विशाल तारों के एक दूसरे की परिक्रमा करने पर, और दो ब्लैक होल के विलय होने पर उत्पन्न अदृश्य लहरें/तरंगे होती है।
- हालांकि आइंस्टीन ने एक शताब्दी पूर्व ही गुरुत्वाकर्षण तरंगों की भविष्यवाणी कर दी थी, लेकिन व्यावहारिक तौर पर 2015 में ही इसका पता लगाया जा सका था,जिसके चलते 2017 में एलआईजीओ के संस्थापकों को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था।

4. गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर

- गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर में एक लेजर बीम होती है जो दो विभिन्न रास्तों में विभाजित हो जाती है और अंततः दो प्रकाश पुंज एक फोटोडेटेक्टर को भेजे जाते हैं।
- जब कोई गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर के बीच से गुजरती है, तो इससे सारा प्रबन्धन बिगड़ जाता है। परिणामस्वरूप लेजर बीम अपने स्वरूप (लम्बाई) में थोड़ी भिन्नता प्रदर्शित करती है जिसका फोटोडेटेक्टर के जरिये पता लग जाता है।
- गुरुत्वाकर्षण तरंगों के सिद्धांत के अनुसार जब ये तरंग किसी स्थान को पार करती है तो यह उस स्थान को थोड़ा कम कर या फैलाकर इसे थोड़ा-बहुत संशोधित कर देती है और उस स्थान में इस प्रकार के बदलाव के कारण लेजर बीम से अलग-अलग लम्बाई प्राप्त होती है।
- वर्तमान में तीन गुरुत्वाकर्षण-तरंग (GW) डिटेक्टर का कार्यरत है। जिनमें से दो GW डिटेक्टर हैनफोर्ड, वाशिंगटन, उत्तर-पश्चिमी अमेरिका में तथा एक दक्षिण-पूर्वी अमेरिका के लिविंगस्टन, लुइसियाना में है।
- ध्यावत है कि प्रस्तावित LIGO इंडिया परियोजना के अंतर्गत एक उन्नत LIGO डिटेक्टर को हैनफोर्ड से भारत में स्थानांतरित किया जायेगा।

04 कोविड-19: अंडमान की दुर्लभ जनजाति पर खतरा

1. चर्चा का कारण

- भारत में अंडमान द्वीप समूह के एक टापू पर रहने वाली दुर्लभ जनजाति के कुछ सदस्य कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। ग्रेट अंडमानीज जनजाति के चार सदस्यों में संक्रमण हुआ है।
- अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पूर्वी हिस्से में अब तक कोरोना वायरस के संक्रमण के 2985 मामले दर्ज किए गए हैं। इन में से 41 लोगों की जान भी गई है। यहां पहला मामला जून के शुरुआत में दर्ज किया गया था।

2. प्रमुख बिन्दु

- अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह पर निवासरत एक संकटग्रस्त आदिवासी कबीले के 10 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। यह कबीला 'पर्टीकुलर्ली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप' (PVTG) में आता है।
- गौरतलब है कि विलुप्त होने के कगार पर पहुंचे इस ग्रेट अंडमानी जनजाति कबीले के मात्र 53 सदस्य ही दुनिया में जीवित हैं। ऐसे में कोरोना संकट के इस दौर में भारत सरकार के लिए इनके अस्तित्व को बचाए रखना चुनौतीपूर्ण हो गया है।
- पर्टीकुलर्ली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप (PVTG) में ऐसे आदिवासियों को रखा गया है जिनकी संख्या बेहद कम होती है। वह बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग रहते हैं। इनकी न तो कोई लिखित भाषा होती है और न ही आम इंसान के जैसा रहन-सहन। पूरी तरह से प्रकृति पर आधारित इन समूहों का विकास दर भी बेहद कम होता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इस प्रकार के पांच आदिवासी कबीला निवासरत है।

3. कैसे पहुंचा यहाँ कोरोना

- जानकारों का मानना है कि स्वास्थ्य और इमरजेंसी अधिकारियों का एक दल, कुछ दिन पहले स्ट्रेट आइलैंड (कबीले का निवास) पर पहुंच गया था, जिस दौरान इस कबीले ने उनका काफी सहयोग भी किया था। वहीं कबीले के कुछ लोग पोर्ट ब्लेयर भी जाते रहते हैं। आशंका है कि इसी दौरान कबीले का कोई सदस्य संक्रमित हुआ हो।

4. ग्रेट अंडमानीज कौन हैं?

- अंडमान द्वीप समूह पाँच विलुप्त होने की कगार पर खड़ी जनजातियों का घर है। ये हैं- जरावा, नॉर्थ सेंटीनेलीज, ग्रेट अंडमानीज, ओंग और शोम्पेन।
- इनमें जरावा और नॉर्थ सेंटीनेलीज जनजातियाँ, आम लोगों के संपर्क में नहीं आई हैं. नॉर्थ सेंटीनेलीज तो बाहर के लोगों के प्रति काफी आक्रामक हैं। इसीलिए उनके द्वीप पर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है।
- मूल रूप से, ग्रेट अंडमानी दस अलग-अलग जनजातियां थीं, जिनमें जेरू (Jeru), बी (Bea), बो (Bo), खोरा (Khora), और पोकीवर (Pockiwar) शामिल हैं। इन लोगों की अपनी अलग भाषा है। 1788 में जब अंग्रेजों ने पहली बार द्वीपों का उपनिवेश बनाने की कोशिश की तो पाया कि ग्रेट अंडमानी की जनसंख्या 5,000 से 8,000 के बीच है।
- हालांकि जनजाति के कई सदस्य अपने क्षेत्रों की रक्षा के लिए अंग्रेजों के साथ मुठभेड़ में मारे गए थे। बाद में, कई को उपनिवेशवादियों द्वारा लाए गए महामारी ने मिटा दिया गया, जैसे कि खसरा, सिफलिस और इन्फ्लूएंजा इत्यादि।
- मानव विज्ञानी (Anthropologists) ग्रेट अंडमानी को नेग्रिटो जनजातियों (Negrito tribes) के हिस्से के रूप में वर्गीकृत करते हैं जो दक्षिणपूर्व एशिया और अंडमान द्वीप समूह के अलग-अलग हिस्सों में रहते हैं।
- ग्रेट अंडमानी लोगों की घटती आबादी में योगदान देने वाले प्रमुख कारकों में पर्यावरणीय 'गड़बड़ी' (Environmental disturbances) के साथ शहरवासियों के संपर्क के परिणामस्वरूप छूत की बीमारियाँ (contagious diseases) शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इन लोगों में शराब, तम्बाकू और अफीम के व्यसनों के परिणाम स्वरूप उच्च मृत्यु दर देखी गयी है।

5. आगे की राह

- पूरी दुनिया इस समय तरह तरह की चिकित्सकीय प्रक्रिया से गुजर रही है। ऐसे में आदिवासी कल्याण समिति व सरकार को कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। इसके अतिरिक्त सरकार को इन जनजातियों की सामूहिक टेस्टिंग पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए साथ ही संक्रमण बाकी द्वीपों की जनजातियों तक न फैले इसके लिए ठोस कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

05 सकल घरेलू उत्पाद में गिरावट

1. चर्चा का कारण

- केंद्र सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय के अनुसार कोविड -19 महामारी के चलते देशभर में लागू लॉकडाउन ने अर्थव्यवस्था को जोरदार झटका दिया है। भारत की पहली तिमाही (अप्रैल-मई -जून) में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में सालाना आधार पर (-)23.9% की ऐतिहासिक गिरावट आई है। कम उपभोक्ता मांग और घटते निजी निवेश के चलते यह स्थिति उत्पन्न हुई है। इस दौरान कृषि क्षेत्र को छोड़कर ज्यादातर गतिविधियां नीचे आ गई।

2. प्रमुख बिन्दु

- 1990 के दशक की शुरुआत में आर्थिक उदारीकरण के बाद से, भारतीय अर्थव्यवस्था ने हर साल औसतन 7% की जीडीपी वृद्धि दर हासिल की है। इस साल, 7% की जीडीपी वृद्धि दर प्राप्त होने की संभावना नहीं है।
- अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों द्वारा जोड़े गए सकल मूल्य (उत्पादन और आय) के संदर्भ में, आंकड़ों से पता चलता है कि कृषि में ग्रोथ रेट 3.4 जीवीए रही है।
- सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र निर्माण (-50%), व्यापार, होटल और अन्य सेवाएं (-47%), विनिर्माण (-39%), और खनन (-23%) हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये ऐसे क्षेत्र हैं जो देश में अधिकतम नई नौकरियों का सृजन करते हैं।
- निजी खपत- भारतीय अर्थव्यवस्था को चलाने वाला सबसे बड़ा क्षेत्र है जो 27% तक गिर गया है। दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र -व्यवसायों द्वारा निवेश है जो कोरोना के कारण और भी कठिन हो गया है। देखा जाये तो निजी खपत और व्यवसाय, जो कुल जीडीपी का 88% से अधिक है, ने बड़े पैमाने पर पहली तिमाही में संकुचन देखा। बीते साल इसी जून तिमाही की दर 5.2 फीसदी थी।

3. सकल घरेलू उत्पाद

- किसी अर्थव्यवस्था या देश के लिये सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) एक निर्धारित अवधि में उस देश में उत्पादित वस्तु और सेवाओं का कुल मूल्य होता है। यह अवधि आमतौर पर एक साल की होती है।
- जीडीपी में सभी निजी और सार्वजनिक खपत, निवेश, सरकारी परिव्यय, निजी आविष्कार, भुगतान-निर्माण लागत और व्यापार का विदेशी संतुलन शामिल है। सीधे शब्दों में कहें, तो जीडीपी एक देश की समग्र आर्थिक गतिविधि का एक व्यापक माप है।
- जीडीपी के डेटा को आठ क्षेत्रों से इकट्ठा किया जाता है. इनमें कृषि, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस सप्लाई, माइनिंग, क्वैरीइंग, वानिकी और मत्स्य, होटल, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड और कम्युनिकेशन, फाइनेंसिंग, रियल एस्टेट और इंश्योरेंस, बिजनेस सर्विसेज और कम्युनिटी, सोशल और सार्वजनिक सेवाएँ शामिल हैं।

4. जीडीपी का डाटा अहम क्यों

- जब अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन करती है, तो कारोबारी और ज्यादा पैसा निवेश करने के साथ उत्पादन को बढ़ाते हैं,लेकिन जब जीडीपी के आँकड़े कमजोर होते हैं, तो निवेश में कमी देखने को मिलती है। इससे आर्थिक विकास और सुस्त हो जाता है।
- विशेषज्ञों का मानना है कि जीडीपी डेटा में असंगठित क्षेत्र की स्थिति का पता नहीं चलता है जो देश के 94 फीसदी रोजगार का उत्तरदायित्व उठाता है।

5. प्रभाव

- जब आय में तेजी से गिरावट होती है, तो निजी कंपनी खपत में कटौती करती हैं। जब निजी खपत तेजी से गिरती है, तो व्यवसाय करने वाले संस्थान निवेश करना बंद कर देते हैं। चूंकि ये दोनों स्वैच्छिक निर्णय हैं, इसलिए लोगों को वर्तमान परिदृश्य में अधिक निवेश करने के लिए या व्यवसायों पर खर्च करने के लिए मजबूर करने का कोई तरीका नहीं है। यही तर्क निर्यात और आयात के लिए भी है।
- व्यापार ,होटल खनन इत्यादि क्षेत्र में उत्पादन और आय गिर रही है जिससे रोजगार में गिरावट हो रही है परिणामस्वरूप बेरोजगारी में वृद्धि होगी। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि दूसरे एशियाई देशों के मुकाबले रिकवरी करने में भारत को ज्यादा वक्त लग सकता है।
- इन सभी परिस्थितियों में जब सरकार जब अधिक खर्च करती है तो अर्थव्यवस्था में गिरावट मध्यम अवधि के लिए हो सकती है। इसके विपरीत यदि सरकार पर्याप्त खर्च नहीं करती है तो अर्थव्यवस्था को ठीक होने में लंबा समय लगेगा। इस प्रकार सरकार को संसाधनों को उत्पन्न करने के लिए कुछ नवीन समाधानों के बारे में सोचना होगा।

06 कतर के श्रम कानून में बदलाव

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में कतर ने अपने श्रम कानूनों में बदलाव किया है। कतर ने प्रवासी मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन 25 प्रतिशत बढ़ाकर 274 डॉलर प्रति माह कर दिया और प्रवासी कर्मचारियों को नौकरी बदलने के लिए अपने नियोक्ताओं की अनुमति प्राप्त करने के लिए आवश्यकता को भी समाप्त कर दिया।

2. आवश्यकता क्यों

- कफाला के तहत कतर में काम करने वाले सभी विदेशी कामगारों को एक स्थानीय प्रायोजक की जरूरत होती है। यह कोई व्यक्ति भी हो सकता है और कोई कंपनी भी।
- अगर कामगार को नौकरी बदलती है तो इस प्रायोजक से अनुमति लेनी पड़ती है। आलोचक इस सिस्टम को आधुनिक दौर की गुलामी बताते हैं क्योंकि इसमें कामगारों के अधिकारों का कोई संरक्षण नहीं था और उनका उत्पीड़न बहुत होता था।
- जब से कतर 2022 के फुटबॉल वर्ल्ड कप का मेजबान बना है, तब से उसके श्रम कानूनों की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आलोचना हो रही है। अरब प्रायद्वीप में फीफा वर्ल्ड कप के आयोजन ने मानवाधिकार हनन के मामले की ओर भी ध्यान आकर्षित किया है।
- बहुत से श्रमिकों की यह भी शिकायत होती है कि उन्हें कतर अधिक वेतन के वादे के साथ लाया गया था लेकिन यहां उन्हें उतना पैसा नहीं मिल रहा है। नए कानून के तहत इस तरह की शिकायतों पर ध्यान दिया जा सकेगा। आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल नियोक्ताओं के खिलाफ छह हजार शिकायतें दर्ज की गईं।

3. प्रमुख बदलाव

- कतर ने अपनी पुरानी और सबसे ज्यादा आलोचना वाली 'कफाला' प्रणाली (kafala system) को खत्म कर दिया है। नए कानून के मुताबिक अगर कोई श्रमिक किसी कंपनी में दो साल से कम समय के लिए काम करते हैं तो वो एक महीने की नोटिस देकर कंपनी छोड़ सकते हैं जबकि यदि वे लंबे समय तक काम करते हैं तो दो महीने की नोटिस देना अनिवार्य है।
- नए कानून के जरिए कतर में काम करने वाले विदेशी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा होगी। इसमें आधुनिक कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को लाया जाएगा जिससे श्रमिकों को नौकरी बदलने में भी आसानी होगी।
- कंपनियों को आवास और भोजन के लिए 800 रियाल का एक अतिरिक्त संयुक्त मासिक वजीफा भी प्रदान करना होगा। ये सुधार सभी क्षेत्रों के श्रमिकों पर लागू होते हैं, जिनमें घरेलू कामगार भी शामिल हैं, जिन्हें पहले बाहर कर दिया गया था।

4. आगे की राह

- कतर में प्राकृतिक गैसों का भंडार है और अब वहां निर्माण के क्षेत्र में तेजी आई है। वहीं प्रति व्यक्ति आय के मामले में कतर के नागरिक सबसे ऊपर के स्थानों पर हैं। अन्य खाड़ी देशों की ही तरह कतर को भी लाखों प्रवासी मजदूरों पर निर्भर रहना पड़ता है।
- प्रवासी मजदूर ज्यादातार दक्षिण एशियाई देशों जिनमें भारत, नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश शामिल हैं, कतर में जाकर काम करते हैं। प्रवासी श्रमिकों का योगदान केवल अपने मूल देश में प्रेषित धनराशि भेजने तक ही नहीं सीमित है बल्कि यह खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था को भी सस्ता श्रम उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा प्रवासी श्रमिक किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में मांग में वृद्धि करने वाला कारक और एक बड़ा उपभोक्ता भी होता है। अतः नए श्रम कानूनों से साफ है कि भारत समेत विदेशी मजदूरों को इसका बड़ा लाभ मिलेगा।

07 एकमुश्त ऋण के लिए कामथ समिति के सुझाव

1. चर्चा का कारण

- भारतीय रिजर्व बैंक ने 'रेजोल्युशन फ्रेमवर्क फॉर कोविड-19 रिलेटेड स्ट्रेस' के तहत जरूरी वित्तीय पैरामीटर के बारे में सुझाव देने के लिए 7 अगस्त को ICICI बैंक के पूर्व सीईओ केवी कामत की अध्यक्षता में समिति गठित की थी। इस समिति ने कॉरपोरेट ऋणधारकों के ऋण के एकमुश्त पुनर्गठन हेतु आवश्यक मापदंडों पर अपने सुझाव प्रस्तुत किये हैं।

2. समिति का गठन क्यों?

- इस समिति को 1,500 करोड़ रुपए या इससे अधिक के ऋण वाले ऋणधारकों के ऋण पुनर्गठन के लिये वित्तीय मापदंडों हेतु क्षेत्र विशेष के आधार पर बेंचमार्क का सुझाव देने का कार्य सौंपा गया था।
- COVID-19 महामारी के कारण व्यावसायिक क्षेत्र का 15.52 लाख करोड़ रुपए का ऋण जोखिम में आ गया है, जबकि 22.20 लाख करोड़ रुपए का व्यावसायिक ऋण इस महामारी से पहले ही जोखिम की श्रेणी में था। कामथ पैनल ने कहा है कि खुदरा व्यापार, थोक व्यापार, सड़क और वस्त्र जैसे क्षेत्रों में कंपनियों को तनाव का सामना करना पड़ रहा है। कोविद 19 से पहले ही एनबीएफसी, बिजली, स्टील, रियल एस्टेट और निर्माण क्षेत्र अत्यधिक प्रभावित थे।

3. कामथ समिति के सुझाव

- केवी कामथ कमेटी ने अपने सिफारिश में एविएशन और रियल स्टेट सेक्टर को राहत देने की बात कही है। कोरोना और लॉकडाउन से सबसे अधिक यही दो सेक्टर प्रभावित हुआ है. इसके अलावा कमेटी ने निर्माण, लोहा और इस्पात निर्माण, सड़क, रियल एस्टेट, वस्त्र, रसायन, उपभोक्ता टिकाऊ / एफएमसीजी जैसे क्षेत्रों के ऋणों का पुनर्विकास करने का सुझाव दिया है।
- लेनदार कर्ज रीस्ट्रक्चरिंग से पहले 5 अहम अनुपात को देखेंगे, 5 पैमानों के आधार पर रिजॉल्यूशन प्लान को बनाया जाएगा -
  - कुल आउटसाइड लाइबिलिटी यानि कुल देनदारी कितनी है
  - कुल कर्ज कितना है
  - करेंट रेश्यो कितना है, यानि असेट और लाइबिलिटी का रेश्यो कितना है
  - डेट सर्विस कवरेज रेश्यो
  - एवरेज डेट सर्विस कवरेज रेश्यो

4. आरबीआई द्वारा सिफारिशें स्वीकार

- रिजर्व बैंक ने कामथ कमेटी की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों को कोरोना वायरस महामारी (Covid-19 pandemic) से दबाव में आए वाहन, बिजली, उड्डयन और पर्यटन सहित 26 क्षेत्रों के कर्जदारों को कुछ स्पष्ट वित्तीय कसौटियों के आधार पर ऋण पुनर्गठन की छूट दिए जाने की अनुमति प्रदान कर दी है। इस महामारी से सबसे गंभीर रूप से प्रभावित रियल स्टेट क्षेत्र को ऋण पुनर्गठन के लिये सर्वोच्च EBIDTA अनुपात (स्वीकृति योग्य) प्रदान किया गया है।
- आरबीआई ने बैंकों को 1 मार्च, 2020 तक उन सभी ऋणों की भरपाई करने की अनुमति दी है, जो मानकों के अनुरूप सही पाये गए थे। रिजॉल्यूशन फ्रेमवर्क को 31 दिसंबर, 2020 से पहले लागू किया जाएगा और और इसे शुरू करने की तारीख से 180 दिनों से पहले लागू किया जाएगा।

5. ऋण-पुनर्गठन से अर्थव्यवस्था को क्या फायदा होगा

- वित्तीय वर्ष 2008-11 और वित्तीय वर्ष 2013-19 में सरकार द्वारा ऋण-पुनर्गठन की घोषणा की गयी थी जिसके बाद अधिकांश संपत्तियाँ NPA में बदल गई थी। इसके बाद आरबीआई द्वारा 1 अप्रैल, 2015 को 'कॉर्पोरेट ऋण पुनर्गठन योजना' को बंद कर दिया गया था।
- आरबीआई द्वारा इसके बाद तीन अन्य ऋण पुनर्गठन योजनाओं की शुरुआत की गई परंतु इन योजनाओं को भी या तो सही से लागू नहीं किया गया या ऋणधारकों द्वारा इनका भी दुरुपयोग किया गया।
- वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल खजून) में देश की अर्थव्यवस्था में लगभग ऋण 23% की गिरावट देखी गई है। हालाँकि आरबीआई द्वारा इस बार ऋण के पुनर्गठन के लिये निर्धारित समय-सीमा और बाहरी पुनरीक्षण जैसे सुरक्षात्मक प्रावधान तो किये गए हैं किन्तु इस योजना की सफलता बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था की सेहत में सुधार पर निर्भर करेगी।

7 वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा उनके व्याख्या सहित उत्तर (ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित)

01 एक्ट ऑफ गॉड

प्र. एक्ट ऑफ गॉड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. एक्ट ऑफ गॉड का प्रावधान नेपोलियन कोड से लिया गया है।
2. एक्ट ऑफ गॉड का अर्थ है प्राकृतिक आपदा।
3. चीन ने कोविड-19 को एक्ट ऑफ गॉड के रूप में मान्यता दी है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 3

(c) केवल 2 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

उत्तरः (d)

व्याख्याः प्राकृतिक आपदा अथवा एक्ट ऑफ गॉड का प्रावधान नेपोलियन कोड से लिये गये हैं। यह एक फ्रांसीसी शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है प्राकृतिक आपदा। विदित हो कि चीन ने कोविड-19 को एक्ट ऑफ गॉड के रूप में मान्यता दी है। इस तरह तीनों कथन सही हैं, अतः उत्तर (d) होगा।

02 उत्तर अंटलाटिक संधि संगठन

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. उत्तर अटलांटिक संधि संगठन का मुख्यालय पेरिस (फ्रांस) में है।
2. मैसेडोनिया को नाटो के नये सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तरः (b)

व्याख्याः उत्तर अटलांटिक संधि संगठन का मुख्यालय ब्रुसेल्स (बेल्जियम) में है। इसके 30 सदस्य है, जो मुख्य रूप से यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देश हैं। मैसेडोनिया को नाटो के नये सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इस तरह कथन 1 गलत है, अतः उत्तर (b) होगा।

03 दो कृष्ण विवरों का विलय

प्र. कृष्ण विवर (ब्लैक होल) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. कृष्ण विवर अंतरिक्ष में पाये जाने वाले ऐसे पिंड होते हैं, जिनका घनत्व तथा गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक होता है।
2. जिन ब्लैक होल में 100 से 100,000 सौर द्रव्यमान होते हैं, वे इंटरमीडिएट-मास ब्लैक होल कहलाते हैं।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तरः (c)

व्याख्याः कृष्ण विवर अंतरिक्ष में पाये जाने वाले ऐसे पिंड होते हैं, जिनका घनत्व तथा गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक होता है। जिन ब्लैक होल में 100 से 100,000 सौर द्रव्यमान होते हैं, वे इंटरमीडिएट-मास ब्लैक होल कहलाते हैं। इस तरह दोनों कथन सही हैं, अतः उत्तर (c) होगा।

04 कोविड-19: अंडमान की दुर्लभ जनजाति पर खतरा

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. अंडमान एण्ड निकोबार द्वीप समूह पर एक संकटग्रस्त आदिवासी कबीले के 10 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है।

2. पर्टीकुलर्ली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप (PVTG) में ऐसे आदिवासियों को रखा जाता है, जिनकी संख्या बहुत अधिक होती है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर: (a)

व्याख्या: पर्टीकुलर्ली वल्नेरबल ट्राइबल ग्रुप (PVTG) में ऐसे आदिवासियों को रखा जाता है, जिनकी संख्या बहुत कम होती है। विदित हो कि अंडमान एण्ड निकोबार द्वीप समूह पर एक संकटग्रस्त आदिवासी कबीले के 10 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस तरह कथन 2 गलत है, अतः उत्तर (a) होगा।

05 सकल घरेलू उत्पाद में गिरावट

प्र. सकल घरेलू उत्पाद में गिरावट निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) एक निर्धारित अवधि में किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित बहुत एवं सेवाओं का कुल मूल्य होता है।
2. सकल घरेलू उत्पाद के डेटा को आठ क्षेत्रों से इकठ्ठा किया जाता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर: (c)

व्याख्या: किसी अर्थव्यवस्था या देश के लिये सकल घरेलू उत्पाद निर्धारित अवधि में उस देश में उत्पादित वस्तु और सेवाओं का कुल मूल्य होता है। यह अवधि आमतौर पर एक साल की होती है। सकल घरेलू उत्पाद के डेटा को आठ क्षेत्रों से इकठ्ठा किया जाता है। इस तरह दोनों कथन सही हैं, अतः उत्तर (c) होगा।

06 कतर के श्रम कानून में बदलाव

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. कतर ने अपनी पुरानी और सबसे ज्यादा आलोचना वावली 'कफला' प्रणाली को खत्म कर दिया है।
2. कतर ने प्रवासी मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन 25% बढ़ाकर 274 डॉलर प्रति माह कर दिया है।
3. कतर में प्राकृतिक गैसों का विशाल भंडार है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

उत्तर: (d)

व्याख्या: कतर ने अपनी पुरानी और सबसे ज्यादा आलोचना वावली 'कफला' प्रणाली को खत्म कर दिया है। कतर ने प्रवासी मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन 25% बढ़ाकर 274 डॉलर प्रति माह कर दिया है। कतर में प्राकृतिक गैसों का विशाल भंडार है। इस प्रकार तीनों कथन सही हैं, अतः उत्तर (d) होगा।

07 एकमुश्त ऋण के लिए कामथ समिति के सुझाव

प्र. कामथ समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. कामथ समिति ने अपने सिफारिशों में एविएशन और रियल स्टेट सेक्टर को राहत देने की बात की है।
2. रिजर्व बैंक ने कामथ समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर ली है।
3. आरबीआई ने बैंकों के 1 मार्च, 2020 तक उन सभी ऋणों की भरपाई करने की अनुमति की है, जो मानकों के अनुरुप सही पाये गये थे।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 2

(c) केवल 1 और 2 (d) उपर्युक्त सभी

उत्तर: (d)

व्याख्या: कामथ समिति ने अपने सिफारिशों में एविएशन और रियल स्टेट सेक्टर को राहत देने की बात की है। रिजर्व बैंक ने कामथ समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर ली है। आरबीआई ने बैंकों के 1 मार्च, 2020 तक उन सभी ऋणों की भरपाई करने की अनुमति की है, जो मानकों के अनुरुप सही पाये गये थे। इस तरह तीनों कथन सहीं हैं, अतः उत्तर (d) होगा।

7 महत्वपूर्ण खबरें

01 आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विधेयक, 2020

चर्चा में क्यों

- हाल ही में आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विधेयक, 2020 को संसद द्वारा पारित कर दिया गया है।

आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (आईटीआरए)

- आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विधेयक, 2020 के पारित होने से एक अति आधुनिक आयुर्वेदिक संस्थाओं की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ है।
- जामनगर, गुजरात में स्थापित होने वाले इस संस्थान का नाम आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (आईटीआरए) होगा।
- इसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान (आईएनआई) का दर्जा दिया जाएगा।
- इस आईटीआरए की स्थापना गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय परिसर, जामनगर में वर्तमान में विद्यमान आयुर्वेद संस्थानों को मिलाकर की जाएगी। यह बहुत प्रख्यात संस्थानों का समूह है, यथा
    - आयुर्वेद स्नातकोत्तर शिक्षण और अनुसंधान संस्थान
    - श्री गुलाब कुंवरबा आयुर्वेद महाविद्यालय
    - आयुर्वेदिक औषधि विज्ञान संस्थान
    - महर्षि पतंजलि योग नेचुरोपैथी शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (इसे प्रस्तावित आईटीआरए के स्वास्थ विभाग का हिस्सा बनाया जाना है।)

- उपर्युक्त ये चारों संस्थान पिछले कई दशकों के दौरान स्थापित हुए हैं और एक-दूसरे के निकट स्थित होने से आयुर्वेद संस्थानों के एक विशिष्ट परिवार का निर्माण करते हैं।

महत्व

- इस प्रस्ताव से आईटीआरए संस्थान को आयुर्वेद और फार्मेसी में स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा में शिक्षण की पद्धति को विकसित करने के लिए अधिक स्वायत्तता मिलेगी।
- विभिन्न घटक संस्थानों के बीच समन्वय से आईटीआरए को इस प्रकार की शिक्षा के उच्च मानकों का प्रदर्शन करने और पूरे आयुष क्षेत्र में एक प्रकाश स्तंभ संस्थान के रूप में उभरने में मदद मिलेगी।
- इससे फार्मेसी सहित आयुर्वेद की सभी प्रमुख शाखाओं में कर्मियों को उच्च स्तर का प्रशिक्षण प्राप्त होने और आयुर्वेद के क्षेत्र में गहन अध्ययन और अनुसंधान किए जाने की उम्मीद है।
- आईटीआरए आयुष क्षेत्र में राष्ट्रीय महत्व के संस्थांन (आईएनआई) के दर्जे वाला पहला संस्थान होगा। इससे संस्थान को पाठ्यक्रम सामग्री और शिक्षाशास्त्र के मामले में निर्णय लेने में स्वतंत्र और नवाचारी बनने में मदद मिलेगी। यह निर्णय ऐसे समय आया है जब परंपरागत ज्ञान पर आधारित स्वास्थ्य समाधानों में वैश्विक दिलचस्पी अप्रत्याशित रूप से बहुत ऊंचे स्तर पर है और आईटीआरए आयुर्वेद शिक्षा को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तैयार है।

02 कृषि से संबन्धित विधेयक

चर्चा में क्यों

- देश में कृषि में बदलाव और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से संसद में हाल ही में तीन विधेयक प्रस्तुत किए गए।
  - किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सुविधा) विधेयक, 2020
  - किसानों (सशक्तिकरण एवं संरक्षण) का मूल्य, आश्वासन अनुबंध एवं कृषि सेवाएं विधेयक, 2020
  - आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2020
- इन विधेयकों में निहित उपायों से कृषि उपज का बाधा-रहित व्यापार हो सकेगा और इनसे किसान अपनी पसंद के निवेशकों के साथ जुड़ने में भी सशक्त होंगे। ये उपाय सरकार द्वारा किए गए उपायों की श्रृंखला में नवीनतम हैं जो देश के किसानों के कल्याण के लिए सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

किसान उपज व्यापपार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सुविधा) विधेयक, 2020

- देश में किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए विभिन्न प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है। ये प्रतिबंध मुख्यत: राज्य सरकारों के एपीएमसी एक्ट के तहत लगाए जाते हैं। इसके तहत किसान अपनी उपज को एपीएमसी मंडियों के बाहर नहीं बेंच सकते हैं।
- किसानों पर राज्य सरकारों के पंजीकृत लाइसेंस धारकों को ही अपनी उपज बेचने के लिए प्रतिबंध लगाया जाता है। इसके अलावा, राज्य सरकारों द्वारा लागू किए गए विभिन्न एपीएमसी विधानों की मौजूदगी के चलते एक राज्य से दूसरे राज्य में बाधारहित कृषि उपज के आवागमन में भी अनेक बाधाएं मौजूद हैं।
- इन चुनौतियों को देखते हुए भारत सरकार किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सुविधा) विधेयक, 2020 लेकर आयी है। इसके तहत व्यापारी, किसानों से एपीएमसी

कानूनों के दायरे से बाहर रहकर उनकी उपज खरीद सकेंगे।

- यह कानून देश में व्यापक रूप से विनियमित कृषि बाजारों को बाधा रहित बनाने के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। यह किसानों के लिए अधिक विकल्प खोलेगा, किसानों के लिए विपणन लागत कम करेगा और उन्हें बेहतर मूल्य प्राप्त करने में भी मदद करेगा। यह कानून अधिक (सरप्लस) उत्पादन वाले क्षेत्रों के किसानों को बेहतर मूल्यं प्राप्त करने और उत्पाद की कमी वाले क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को कम कीमत पर उत्पाद मिलने में मदद करेगा।

किसानों (सशक्तिकरण एवं संरक्षण) का मूल्य आश्वासन अनुबंध एवं कृषि सेवाएं विधेयक, 2020

- भारतीय कृषि की विशेषता भूमि के छोटी जोत के कारण हो रहा विखंडन हैं और इसकी मौसम पर निर्भरता, उत्पादन की अनिश्चितताएं, बाजार की अस्थिरता जैसी कुछ कमजोरियां भी हैं। ये कृषि लागत और उत्पोदन प्रबंधन दोनों के संबंध में कृषि को जोखिम भरा और अक्षम बनाती हैं।
- यह कानून बाजार की अस्थिरता के जोखिम को किसान से हटाकर प्रायोजक के पास ले जाएगा और किसान की आधुनिक तकनीक और बेहतर कृषि इनपुट से पहुंच को भी सक्षम बनाएगा।
- यह कानून विपणन की लागत कम करेगा और किसानों की आय में सुधार करेगा।
- किसान सीधे विपणन में शामिल होंगे जिससे बिचौलियों की भूमिका कम होगी और किसानों को पूरा मूल्य प्राप्त होगा।
- इसमें किसानों को पर्याप्त संरक्षण प्रदान किया गया है। समय पर विवाद निवारण के लिए प्रभावी विवाद समाधान तंत्र उपलब्ध कराया गया है।

आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2020

- यह विधेयक अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का प्रावधान करता है। इससे निजी निवेशकों को उनके व्यापार के परिचालन में अत्यधिक नियामक हस्तक्षेपों की आशंका दूर हो जाएगी। उत्पाद, उत्पाद सीमा, आवाजाही, वितरण और आपूर्ति की स्वतंत्रता से बिक्री की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में मदद मिलेगी और कृषि क्षेत्र में निजी क्षेत्र/विदेशी प्रत्यतक्ष निवेश आकर्षित होगा।
- भारत में अधिकांश कृषि वस्तुएं सरप्लस हो गई हैं। किसान कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस, प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट में निवेश की कमी के कारण बेहतर मूल्य प्राप्त करने में असमर्थ रहता है, क्योंकि आवश्यक वस्तु अधिनियम के कारण उद्यमशीलता की भावना कम हो जाती है।
- भारी फसल होने पर (विशेष रूप से जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं के मामले में) किसानों को भारी हानि उठानी पड़ती है। यह कानून मूल्य स्थिरता लाते हुए किसान और उपभोक्ता दोनों की ही मदद करेगा।
- यह प्रतिस्पर्धी बाजार का माहौल बनाएगा और भंडारण सुविधाओं की कमी के कारण होने वाली कृषि उत्पादों की बर्बादी भी रोकेगा।

03 जलवायु स्मार्ट शहर आकलन ढांचा और स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज अभियान

चर्चा में क्यों

- हाल ही में आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय मंत्रालय द्वारा जलवायु स्मार्ट शहर आकलन ढांचा (क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असससेसमेंट फ्रमेवर्क-सीएससीएएफ) और स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज अभियान को शुरू किया गया।

स्मार्ट शहर आकलन ढांचा (सीएससीएएफ)

- स्मार्ट शहर आकलन ढांचा (क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असससेसमेंट फ्रमेवर्क-सीएससीएएफ) का उद्देश्य शहरों को निवेश समेत अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने के दौरान सामने आने वाली जलवायु चुनौतियों से निपटने के लिए स्पष्ट खाका उपलब्ध कराना है।
- पिछले एक दशक में हमारे शहरों के समक्ष चक्रवाती तूफान, बाढ़, लू का प्रकोप, पानी की समस्या और सूखे जैसी विषम स्थितियां आई है। इससे जान और माल दोनों के नुकसान के साथ-साथ आर्थिक विकास भी प्रभावित हुआ है। इस संदर्भ में सीएससीएएफ पहल जलवायु परिवर्तन संबंधी पहलुओं के मद्देनजर भारत में शहरी नियोजन और विकास में मदद करेगी।
- सीएससीएएफ फ्रेमवर्क में पांच श्रेणियों में 28 संकेतक को शामिल किया है, जिसमें (i) ऊर्जा एवं हरित निर्माण (ii) शहरी नियोजन, हरित क्षेत्रों और जैव विविधता

(iii) आवागमन तथा वायु गुणवत्ता (iv) जल प्रबंधन एवं (v) कचरा प्रबंधन शामिल हैं।

स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज

- स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज इसलिए शुरू किया गया ताकि हमारे शहरों की गलियों को पैदल चलने वालों के लिए और अधिक सुरक्षित बनाया जा सके।
- यह चैलेंज आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी उस एडवाइजरी पर आधारित है जिसमें इस साल की शुरुआत में बाजारों को पैदल चलने वालों के अनुकूल बनाने के लिए कहा गया था।
- यह चैलेंज देशभर के शहरों को एक समान गलियों के निर्माण में मदद करेगा, जो विभिन्न पक्षकारों और नागरिकों से परामर्श पर आधारित होगा।
- इसका उद्देश्य कम लागत वाले नए विचारों के साथ गलियों के निर्माण की शुरुआत है जो पैदल चलने वालों के अनुकूल हो। इससे प्रतिस्पर्धा में शामिल होने वाले सभी शहरों को टेस्ट-लर्न-स्केल अप्रोच के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे महत्वाकांक्षी और आसपास के खाली पड़े क्षेत्रों में पैदल चलने वाले रास्तों को बेहतर किया जा सके।

04 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और मैंग्रोव वन

चर्चा में क्यों

- नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने हाल ही में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और गुजरात सरकार को कच्छ जिले में मैंग्रोव वनों के विनाश के लिए जिम्मेदार उल्लंघनकर्ताओं से जुर्माना वसूलने का निर्देश दिया है।

परिचय

- एनजीटी की पीठ ने कहा कि मैंग्रोव को नुकसान पहुंचाया गया लेकिन इसे नुकसान पहुंचाने वालों की पहचान नहीं की गयी जबकि दीन दयाल पोर्ट ट्रस्ट को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गयी थी।
- इस पीठ ने कहा कि एनजीटी के 11 सितंबर, 2019 के आदेश को लागू करने के लिए सरकार द्वारा कदम उठाए जाएं। मैंग्रोव वनों के विनाश के एवज में निर्धारित किया गया जुर्माना शीघ्र ही वसूला जाए और उन स्थानों को पहले की तरह बनाने का काम शुरू किया जाए जिन्हें क्षति पहुँचाई गयी है।
- एनजीटी के मुताबिक वन विभाग और गुजरात

तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण की एक संयुक्त कमेटी इसकी निगरानी कर सकती है।

- एनजीटी ने बताया कि आदेश का पालन करवाने के लिए वन विभाग नोडल एजेंसी की तरह काम करेगा।
- एनजीटी गुजरात के कच्छ ऊंट प्रजनन संगठन की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें एनजीटी के 11 सितम्बर 2019 के आदेशों को लागू करने की मांग की गई है।
- याचिका में आरोप लगाया गया था कि दीन दयाल पोर्ट ट्रस्ट गुजरात के कच्छ जिले में मैंग्रोव को बचाने के लिए कदम नहीं उठा रहा है। मामले में केंद्र और अन्य के जवाब मांगे गए थे।
- गौरतलब है कि गुजरात के कच्छ में मैंग्रोव के नष्ट होने से ना केवल वन संरक्षण कानून, 1980 और तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना, 2011 का उल्लंघन हो रहा है बल्कि स्थानीय खरई ऊंट प्रजाति को उनके भोजन के सबसे बड़े स्रोत से वंचित किया जा रहा है। खरई ऊंट के भोजन पर संकट से इस क्षेत्र के ऊंट प्रजनन करने वालों की आजीविका भी प्रभावित हो रही है। इसके साथ ही मैंग्रोव के नष्ट होने से स्थानीय खरई ऊंटों का प्राकृतिक आवास खत्म होता जा रहा है।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी)

- राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम, 2010 द्वारा भारत में एक राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal-NGT) की स्थापना की गई है।
- यह एक विशेष पर्यावरण अदालत है जो पर्यावरण संरक्षण और वनों का संरक्षण से संबंधित मामलों कि सुनवाई करती है।
- अधिकरण की प्रधान पीठ नई-दिल्ली में और भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई अधिकरण के अन्य चार पीठें हैं।
- इसमें पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में भारत के सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य शामिल होते हैं।
- प्रत्येक श्रेणी में निर्धारित न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्यों की न्यूनतम संख्या 10 अधिकतम संख्या 20 होती है।

मेंग्रोव वन

- मेंग्रोव वनों को ज्वारीय वन, दलदली (Swampy) अथवा डेल्टाई वन (Delta Forest) भी कहा जाता है। ये वन भारत में ज्वारीय दलदलों, तटीय लैगून, डेल्टा तथा पश्च-जल झीलों के समीप मिलते हैं।
- इन वनों का सबसे प्रसिद्ध वृक्ष सुन्दरी नामक वृक्ष है इसी के नाम पर गंगा-ब्रह्मपुत्र डेल्टाई वन को सुन्दरवन कहा जाता है।
- इसके अलावा गुजरात के कच्छ क्षेत्र में भी ये वन पाए जाते हैं। इसलिए इन वनों को 'कच्छ' या 'गरान वनस्पति' भी कहते हैं।

कच्छ ऊंट (खराई ऊंट)

- गुजरात, खराई ऊंट का एकमात्र घर है, जो कच्छ के रण की विषम जलवायु और उच्च लवणता उथले समुद्रों के प्रति अनुकूलित हैं।
- खराई ऊंट तटीय द्वीपों के मंग्रोव को अपने भोजन के रूप में उपयोग करते है। ये समुद्रों में तैरने में माहिर होते है।
- इनकी संख्या 10000 से भी कम है और इन्हें आईयूसीएन की रेड सूची में लुप्तप्राय प्रजाति घोषित किया गया है।

05 बैंकिंग विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2020

चर्चा में क्यों

- हाल ही में बैंकिंग विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2020 को लोकसभा में पेश किया गया।

बैंकिंग विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2020

- सरकार ने सहकारी बैंकों (Cooperative Banks) को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के दायरे में लाने के लिए बैंकिंग विनियमन कानून, 1949 (Banking Regulation Act, 1949) में संशोधन हेतु विधेयक लोकसभा में पेश किया।
- इस संशोधन विधेयक का उद्देश्य जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना है। प्रस्तावित कानून का मकसद सहकारी बैंकों को ऐसे नियमों के दायरे में लाना है जो दूसरे बैंकों पर लागू होते हैं।
- यह संशोधन विधेयक मुख्य रूप से सहकारी बैंकों में जमाकर्ताओं की सुरक्षा के उद्देश्य से है और यह केवल उन सहकारी समितियों पर केंद्रित है जो 'बैंक' शब्द का उपयोग करते हैं।

- देश में सहकारी बैंकों को 1965 से आरबीआई द्वारा विनियमित किया गया है और यह विधेयक केवल प्रयोज्यता का विस्तार करना चाहता है ताकि कुछ बैंकिंग विनियमन कानून उन पर भी लागू हों।

लाभ

- आर्थिक विशेषज्ञों के मुताबिक यदि बैंकिंग विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2020 संसद में पारित हो जाता है तो सहकारी बैंक में पैसा रखने वाले ग्राहकों को फायदा होगा।
- यदि कोई सहकारी बैंक डिफॉल्ट करता है तो बैंक में ग्राहकों की जमा 5 लाख रुपये तक की राशि पूरी तरह से सुरक्षित है। क्योंकि सहकारी बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक की बीमा सुरक्षा के अंतर्गत आ जाएंगे।
- उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने केंदीय बजट 2020-21 में प्रावधान किया है कि बैंक डिफॉल्ट की स्थिति में 5 लाख रुपये तक की जमा राशि पर बीमा मिलेगा। पहले यह 1 लाख रुपये थी।
- सहकारी बैंकों के भारतीय रिजर्व बैंक के अधीन आने पर इन्हें भी अब आरबीआई के नियम मानने होंगे , जिससे देश की मौद्रिक नीति को सफल बनाने में आसानी होगी। साथ ही, इन बैंकों को भी अपनी कुछ पूंजी भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखनी होगी, ऐसे में इनके डूबने की आशंका कम हो जाएंगी।

- सरकार के इस फैसले से जनता का विश्वास देश के सहकारी बैंकों में और बढ़ेगा और देश में बैंकों की वित्तीय हालात ठीक होने के आसार बढ़ेंगे।
- प्रस्तावित कानून से पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक (PMC Bank) जैसे संकट की पुनरावृत्ति को रोका जा सकेगा।
- देश में कुल 1,540 सहकारी बैंक हैं। इनमें बैंकों के जमाकर्ताओं की संख्या 8.60 करोड़ है। इन जमाकर्ताओं की सहकारी बैंकों में कुल जमा पांच लाख करोड़ रुपये है। भारतीय रिजर्व बैंक सामान्य बैंकिंग संस्थाओं की तरह को-ऑपरेटिव बैंकों के विनियमन का भी पूरा अधिकार चाहता है।

विवाद

- विपक्षी दलों का कहना है कि केंद्र सरकार बैंकिंग विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2020 के माध्यम से राज्यों के मामले दखल दे रही है, जबकि सहकारिता से संबन्धित प्रावधान हमारे देश के सहकारी संघवाद के तहत आते हैं। भारतीय संविधान के 'भाग 9-ख' में सहकारिता से संबन्धित प्रावधान किए गए हैं।
- किन्तु केंद्र सरकार का कहना है कि भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ सूची के प्रविष्ट (प्रवेश) संख्या 45 में बैंककारी (banking) शब्द का उल्लेख है अर्थात बैंकिंग से संबन्धित विनियम केंद्र सरकार बना सकती है। प्रस्तावित संशोधन विधेयक केवल उन सहकारी समितियों पर लागू होगा जो शब्द बैंक, बैंकर या बैंकिंग का उपयोग करते हैं।

06 ब्लैकरॉक मैलवेयर (Black Rock Malware)

चर्चा में क्यों

- हाल ही में संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने संसद में कहा है कि डेटा चोरी करने की क्षमताओं से लैस 'ब्लैकरॉक' (BlackRock) नाम के एक मैलवेयर (malware) का पता लगाया गया है।

परिचय

- 'ब्लैकरॉक' (BlackRock) नामक मैलवेयर (malware) एंड्रॉइड मोबाइल उपकरणों को लक्षित करता है।
- संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा कि यह (ब्लैकरॉक) मैलवेयर ईमेल एकाउंट, ई-कॉमर्स एप्स, मैसेजिंग/सोशल मीडिया एप्स, एंटरटेनमेंट एप्स, बैंकिंग, फाइनेंशियल एप्स आदि जैसे 300 से ज्यादा एप्स से क्रेडेंशियल्स चुरा सकता है।

- इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (Indian Computer Emergency Response Team CERTIn) ने जुलाई 2020 में अपनी वेबसाइट के साथ-साथ साइबर स्वच्छ केंद्र पर इस वायरस के बारे में अलर्ट प्रकाशित किया था।

- इसके अतिरिक्त, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा कि भारत सरकार ने दुर्भावनापूर्ण कोड (malicious code) का पता लगाने और क्लीनिंग (cleaning) को सक्षम करने हेतु साइबर स्वच्छ केंद्र (Cyber Swachhta Kendra) का संचालन किया है।
- साइबर स्वच्छ केंद्र, इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (internet service providers-ISPs) और उद्योगों के साथ मिलकर अपना संचालन करता है।

हानि

- ब्लैकरॉक मैलवेयर द्वारा इस प्रकार की घुसपैठ न केवल देश के नागरिकों के अधिकारों के लिए बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी एक चुनौती है।
- इस प्रकार के मैलवेयर हमलों से डिजिटल प्लेटफार्मों पर हमारी अक्षमता पता चलती है।

मैलवेयर (malware)

- मैलवेयर (malware) एक तरह का ऐसा सॉफ्टवेयर (software) है जो किसी भी कंप्यूटर , लैपटॉप , मोबाइल आदि के डाटा की चोरी, उसे नष्ट करना या फिर उसको को खराब करने या हैक करने के काम आता है।
- मैलवेयर प्रकार के सॉफ्टवेयर के निर्माण का उद्देश्य किसी कंप्यूटर , लैपटॉप , मोबाइल आदि उपकरणों को नुकसान पहुँचाना और संवेदनशील व्यक्तिगत जांकरियों को चुराना होता है।
- चोरी किए हुए डाटा को हैकर डार्क वेब (Dark Web) पर बेंच देते है या फिर संबन्धित व्यक्ति से फिरौती मांगते हैं।

ब्लैकरॉक मैलवेयर

- ब्लैकरॉक मैलवेयर, एक एंड्रॉइड मैलवेयर है। यह मैलवेयर इतना शक्तिशाली है कि यह एंटी-वायरस एप्लीकेशन को भी असफल कर सकता है तथा यह तुलनात्मक रूप से अधिक एप्स को लक्षित कर सकता है।
- हालाँकि ब्लैकरॉक मैलवेयर, कोई नया मैलवेयर नहीं है, बल्कि यह 'जेरेस मैलवेयर (Xeres Malware) के लीक हुए सोर्स कोड (Source Code) पर आधारित है।

07 लघु वन उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य

चर्चा में क्यों

- हाल ही में जनजातीय कार्य मंत्रालय ने कहा है इस बेहद अशांत और चुनौतीपूर्ण साल (वर्ष 2020) में एक बेहतर उपलब्धि लघु वन उपजों (एमएफपी) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्या (एमएसपी) योजना के तहत एमएफपी की रिकॉर्ड खरीदारी रही है।

परिचय

- जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष कुल खरीदारी (सरकारी और निजी व्यानपार दोनों को मिलाकर) 3000 करोड़ रुपये को पार कर गई है। इसके अतिरिक्त, 16 राज्याों में वन उपजों की खरीद अब 148.12 करोड़ रुपये का आंकड़ा छू रही है।
- सरकार ने लघु वन उपजों (एमएफपी) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यड (एमएसपी) उपलब्ध कराने हेतु 'वन धन योजना' जैसी प्रमुख योजनाओं का सहारा लिया है। वन धन योजना के द्वारा लगभग 3.6 लाख आदिवासियों को लाभ पहुंचा है। यह योजना 22 राज्यों में सफलतापूर्वक कार्यान्वित हुई है।
- ट्राईफेड द्वारा राज्यों से लगातार संपर्क और उन्हें जोड़कर रखने के प्रयास ने एमएफपी के लिए एमएसपी योजना को सही रास्ते पर रखने में एक प्रेरक जैसा काम किया है।
- कोविड-19 महामारी के कारण गिरती आदिवासी अर्थव्यवस्था को संभालने के उद्देश्य से 1 मई, 2020 को एमएफपी के लिए संशोधित एमएसपी जारी की गई, जिससे एमएफपी का एमएसपी मूल्य 90% तक बढ़ गया और इस तरह आदिवासियों की ऊंची आय सुनिश्चित करने में मदद मिली।
- जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 26 मई, 2020 को एमएफपी के लिए एमएसपी सूची में 23 अतिरिक्त नए मदों को शामिल करने की सिफारिश की। इन मदों में आदिवासियों द्वारा उगाए गए कृषि और बागवानी उत्पाद शामिल हैं।

प्रधानमंत्री वन धन योजना (PMVDY)

- जनजातीय समुदाय के लोगों सशक्तिकरण हेतु प्रधानमंत्री मोदी ने 14 अप्रैल 2018 ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जन्मादिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 'प्रधानमंत्री वन धन विकास योजना' को लांच किया था।
- प्रधानमंत्री वन धन योजना का उद्देश्य जनजातीय उद्यम का सृजन करना है।
- ट्राइफेड इसकी नोडल एजेंसी है एवं ट्राइफेड ने अब तक 26 राज्यों और एक केन्द्र शासित प्रदेश में 1101 वन धन केन्द्रों की स्थापना से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी है।

ट्राइफेड

- बहु-राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 1984 के तहत पंजीकृत ट्राइफेड की स्थापना जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत एक राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में 1987 में की गई थी। यह सभी राज्यों के आदिवासी लोगों के सामाजिक-आर्थिक विकास की दिशा में काम कर रही है।
- यह मुख्य रूप से दो कार्य करती है। पहला-लघु वन उपज विकास, दूसरा-खुदरा विपणन एवं विकास।
- ट्राइफेड का मूल उद्देश्य आदिवासी लोगों द्वारा जंगल से एकत्र किये गए या इनके द्वारा बनाये गए उत्पादों को बाजार में सही दामों पर बिकवाने की व्यवस्था करना है। गेहूं और धान की सरकारी खरीद के लिए ट्राईफेड, भारतीय खाद्य निगम (FCI) के एजेंट और मोटे अनाजों, दालों और तिलहनों की सहकारी खरीद में कृषि एवं सहकारिता विभाग के एजेंट के रूप में काम करता है।

7 महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु)

01

03

05

01 हाल ही में बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात ने इजराइल के साथ अब्राहम एकार्ड शांति समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं। यह समझौता खाड़ी देशों के राजनीतिक व आर्थिक परिदृश्य को किस प्रकार प्रभावित करेगा? उल्लेख करें।

02 लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट-2020 के अनुसार, पिछली आधी शताब्दी में कशेरू प्रजातियों की आबादी में बड़े पैमाने पर गिरावट आई है। इस गिरावट के मानवीय तथा प्राकृतिक कारणों पर विस्तार से चर्चा करें।

03 विश्व बैंक के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास दर वर्तमान में निम्नतर स्तर पर पहुँच गया है। विकास दर में आई यह कमी कोविड-19 के कारण है या फिर सरकार की अदूरदर्शी नीतियों का परिणाम? समालोचनात्मक व्याख्या कीजिए।

04 हाल ही में लोकसभा ने आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक 2020 को पारित कर दिया है। यह विधेयक कृषि क्षेत्र के विकास में किस तरह सहायक होगा? टिप्पणी करें।

05 उत्तर अंटलाटिक संधि संगठन (नाटों) के बारे में बतायें, साथ ही इसकी भी चर्चा करें कि नाटो चीन की विस्तारवादी नीतियों पर अंकुश लगाने में कितना कारगर है?

06 वर्तमान में भारत सरकार परिवहन, ऊर्जा जैसे कई क्षेत्रों के निजीकरण पर विचार कर रही हैं भारत जैसे विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए निजीकरण कितना सही है? आलोचनात्मक व्याख्या करें।

07 कई दार्शनिकों का यह कहना है कि भक्ति आंदोलन का मूल व्यक्तिगत ईश्वर के प्रति निष्ठा थी। इससे आप कितना सहमत है? चर्चा करें।

7 महत्वपूर्ण तथ्य
(प्रारंभिक परीक्षा हेतु)

02

04

06

01 विश्व बैंक के 2020 मानव पूंजी सूचकांक (human capital index) में भारत का रैंक क्या है?

116

02 हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है?

योशिहिदे सुगा

03 कौन से देश को संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग (सीएसडब्ल्यू) का सदस्य चुना गया है?

भारत

04 कौन से टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन के फाइनल में विक्टोरिया एजारेंका को हराकर अपना तीसरा ग्रैंड स्लैम जीत लिया है?

नाओमी ओसाका

05 किस राज्य की सरकार केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) की तर्ज पर एक विशेष सुरक्षा बल स्थापित करेगी?

उत्तर प्रदेश

06 ऑस्ट्रिया के कौन से टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन जीतकर अपना पहला ग्रैंडस्लैम खिताब जीत लिया है

डोमिनिक थीम

07 राज्यसभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसे दोबारा चुना गया है?

हरिवंश नारायण सिंह

7 महत्वपूर्ण उक्तियाँ (निबंध तथा उत्तर लेखन में उपयोगी)

02

04

06

01 उच्चतम शिक्षा वो है जो हमें सिर्फ जानकारी ही नहीं देती बल्कि हमारे जीवन को समस्त अस्तित्व के साथ सद्भाव में लाती है।

रवीन्द्रनाथ ठाकुर

02 विश्वास करना एक गुण है, अविश्वास दुर्बलता कि जननी है।

महात्मा गाँधी

03 कुछ करने की इच्छा वाले व्यक्ति के लिए इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है।

अब्राहम लिंकन

04 मैं जातिवाद से घृणा करता हूँ, मुझे यह बर्बरता लगती है , फिर चाहे वह अश्वेत व्यक्ति से आ रही हो या श्वेत व्यक्ति से।

नेल्सन मंडेला

05 शिक्षा की जड़ें तो कड़वी हैं लेकिन फल मीठा होता है।

अरस्तु

06 किसी भी जगह हो रहा अन्याय हर स्थान पर न्याय के लिए खतरा है।

मार्टिन लूथर किंग जूनियर

07 देश के लोगों की नागरिकता, देश की सेवा में निहित है।

जवाहर लाल नेहरू

ध्येय IAS
most trusted since 2003

AN INTRODUCTION

Dhyeya IAS, a decade old institution, was founded by Mr. Vinay Singh and Mr. Q.H. Khan. Ever since its emergence it has unparallel track record of success. Today, it stands tall among the reputed institutes providing coaching for Civil Services Examination (CSE). The institute has been very successful in making potential realize their dreams which is evident from success stories of the previous years.
Quite a large number of students desirous of building a career for themselves are absolutely less equipped for the fairly tough competitive tests they have to appear in. Several others, who have a brilliant academic career, do not know that competitive exams are vastly different from academic examination and call for a systematic and scientifically planned guidance by a team of experts. Here one single move my invariably put one ahead of many others who lag behind. Dhyeya IAS is manned with qualified & experienced faculties besides especially designed study material that helps the students in achieving the desired goal.
Civil Services Exam requires knowledge base of specified subjects. These subjects though taught in schools and colleges are not necessarily oriented towards the exam approach. Coaching classes at Dhyeya IAS are different from classes conducted in schools and colleges with respect to their orientation. Classes are targeted towards the particular exam; classroom guidance at Dhyeya IAS is about improving the individuals capacity to focus. Team and insures us we are comfortably aware of the fact that you can't teach a person anything you can only help him find it within himself.

DSDL Prepare yourself from distance

Distance learning Programme, DSDL, primarily caters the need for those who are unable to come to metros for economic or family reason but have ardent desire to become a civil servant. Simultaneously, it also suits to the need of working professionals, who are unable to join regular classes due to increase in work load or places of their posting. The principal characteristic of our distance learning is that the student does not need to be present in a classroom in order to participate in the instruction. It aims to create and provide access to learning when the source of information and the learners are separated by time and distance. Realizing the difficulties faced by aspirants of distant areas, especially working candidates, in making use of the institute's classroom guidance programme, distance learning system is being provided in General Studies. The distance learning material is comprehensive, concise and memorizable in nature. Its aim is to make available almost all the relevant material on a subject at one place. Materials on all topics of General Studies have been prepared in such a way that, not even a single point will be missing. In other words, you will get all points, which are otherwise to be taken from 6-10 books available in the market / library. That means, DSDL study material is undoubtedly the most comprehensive and that will definitely give you added advantage in your Preliminary as well as Main Examination. These materials are not available in any book store or library. These materials have been prepared exclusively for the use of our students. We believe in our quality and commitment towards making these notes indispensable for any student preparing for Civil Services Examination. We adhere all pillars of Distance education.

Face to Face Centres

DELHI (MUKHERJEE NAGAR) : 011-49274400 | 9205274741, **DELHI (RAJENDRA NAGAR)** : 011-41251555 | 9205274743, **DELHI (LAXMI NAGAR)** : 011-43012556 | 9205212500, **ALLAHABAD** : 0532-2260189 | 8853467068, **LUCKNOW (ALIGANJ)** 9506256789 | 7570009014, **LUCKNOW (GOMTI NAGAR)** 7234000501 | 7234000502, **GREATER NOIDA RESIDENTIAL ACADEMY** : 9205336037 | 9205336038, **BHUBANESWAR** : 8599071555, **SRINAGAR (J&K)** : 9205962002 | 9988085811

Live Streaming Centres

BIHAR: PATNA – 6204373873, 9334100961 | **CHANDIGARH** – 9216779078, 9591818500 | **DELHI & NCR** : FARIDABAD – 9711394350, 1294054621 | **GUJARAT**: AHMEDABAD - 9879113469 | **HARYANA**: HISAR – 9996887708, 9991887708, KURUKSHETRA – 8950728524, 8607221300 | **MADHYA PRADESH**: GWALIOR -9993135886, 9893481642, JABALPUR-8982082023, 8982082030, REWA–9926207755, 7662408099 | **MAHARASHTRA**: MUMBAI - 9324012585 | **PUNJAB**: PATIALA - 9041030070, LUDHIANA – 8876218943, 9888178344 | **RAJASTHAN**: JODHPUR - 9928965998 | **UTTARAKHAND**: HALDWANI-7060172525 | **UTTAR PRADESH**: ALIGARH – 9837877879, 9412175550, AZAMGARH - 7617077051, BAHRAICH - 7275758422, BAREILLY - 9917500098, GORAKHPUR - 7080847474, 7704884118, KANPUR - 7275613962, LUCKNOW (ALAMBAGH) - 7518573333, 7518373333, MORADABAD - 9927622221, VARANASI - 7408098888

YouTube dhyeyaias | dhyeyaias.com | /dhyeya1 | STUDENT PORTAL

TRUEWORD
Quest for Wisdom

Price ₹ 40